सम्पादक
हारून रशीद
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com
www.nadwatululema.org

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक) 50 यु.एस. डॉलर	

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
SACCHA RAHI

SACCHA RAHI
A/c. No. 10863759642
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.

कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नम्बर अथवा ई–मेल पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

जनवरी, 2021 वर्ष 19 अंक 11

साले नौ

कोरोना से सारी ही ख़ुशयां गईं
तो ईदैन में भी न ख़ुशयां रहीं
मुहर्रम का आशूरा फ़ीका रहा
हर एक फ़र्द इस में दुखी ही रहा
जनवरी साले नौ की भी फीकी ही है
ख़ुशी इस में अबकी नहीं कुछ भी है
कोरोना को या रब तू अब ले उठा
कोरोना के शर से तू सब को बचा
अब यह साल या रब ख़ुशी का रहे
कोई भी अब इस में दुखी न रहे

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपने खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर सच्चा राही नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Editing by: Qamaruzzama-9452295052

विषय एक दृष्टि में

क़ुर्आन की शिक्षा	मौ0 बिलाल अब्दुल ह़यी हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	07
नया साल मुबारक हो	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	09
नारी की प्रतिष्ठा और उसके	हज़रत मौ0 अबुल हसन अली नदवी रह0	11
नबी के अख़लाक़ का अनुपम	मौलाना सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी	15
इज्तिमाई कोशिश से पहले	मौलाना डॉ0 सईदुर्रहमान आज़मी नदवी	19
नई तअ़लीमी पॉलिसी	मुहम्मद शाहिद खाँ नदवी	22
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़र आलम नदवी	26
एलाने जमहूरियत (पद्य)	जिगर मुरादाबादी	27
घरेलू मसायल	मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन संभली रह0	28
26 जनवरी, गणतंत्र दिवस	गुफ़रान नदवी	32
मुर्दों को इबादत का सवाब	हज़रत मौ0 मु0 अब्दुश्शकूर फ़ारूक़ी रह0	34
कर्ज और एहसान	मौलाना नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी	36
लाभदायक और बहुमूल्य (पद्य)	मोलवी इस्माईल मेरठी	38
विनय तथा उपचार	राशिदा नूरी	39
अपील बराए तामीर	इदारा	41
उर्दू सीखिए	इदारा	42

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़यी हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-अल आ़राफ़ :

अनुवाद–

और अगर बस्तियों वाले मान लेते और परहेज़गार हो जाते तो हम आसमानों और ज़मीन की बरकतें उस पर खोल देते लेकिन उन्होंने झुठलाया तो उनकी करतूतों के बदले में हमने उनको पकड़ लिया[1](96) तो क्या दूसरी बस्तियों वाले इससे निडर हो गए कि रातों रात हमारा अज़ाब उन पर आ पहुंचे जब वे सोते हों[2](97) या बस्तियों वाले निर्भय हो गए कि दिन चढ़ते हमारा अज़ाब उन पर आ जाए जब वे खेल कूद में लगे हों(98) तो क्या वे अल्लाह के उपाय से निडर हो गए, अल्लाह के उपाय से घाटा उठाने वाले लोग ही निश्चिंत होते हैं[3](99) जो लोग किसी ज़मीन के वहां वालों के बाद वारिस बनते हैं क्या उनके सामने यह बात नहीं खुली कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों पर उनकी पकड़ कर लें और हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं तो वे सुनते ही नहीं[4](100) यह वे बस्तियां हैं जिनकी खबरें हम आपको सुना रहे हैं, और उनके पैग़म्बर खुली निशानियाँ ले कर उनके पास आए थे तो पहले वे जिस चीज़ को झुठला चुके थे उसको उन्होंने ना माना अल्लाह इसी प्रकार इनकार करने वालों के दिलों पर मोहर लगा देता है[5](101) और हमने उनमें अधिकतर लोगों में निबाह न पाया और उनमें अधिकतर हमने उल्लंघनकारी ही पाए(102) फिर उनके बाद हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरऔन और उसके सम्मानित लोगों के पास भेजा तो उन्होंने उन निशानियों के साथ इन्साफ़ न किया तो देख लीजिए कि बिगाड़ करने वालों का अंजाम कैसा हुआ[6](103) और मूसा ने कहा कि ऐ फिरऔन! मैं सारे संसार के पालनहार की ओर से पैग़म्बर (हो कर आया) हूँ(104) इस पर क़ायम हूँ कि अल्लाह की ओर से सत्य ही कहूँ, मैं तुम्हारे पालनहार की ओर से खुली निशानी ले कर आ चुका हूँ तो बनी इस्राईल को मेरे साथ जाने दो[7](105) वह बोला अगर तुम कोई निशानी ले कर आए हो तो उसको पेश करो अगर तुम सच्चे हो (106) तो मूसा ने अपनी लाठी डाल दी तो बस वह एक अजगर साँप बन गया[8](107) और अपना हाथ खींचा[9] तो वह देखने वालों को चमकता हुआ नज़र आया(108) फिरऔन की क़ौम के सम्मानित लोग बोले कि यह तो ज़रूर माहिर जादूगर है[10](109) यह चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करे तो अब तुम्हारी क्या राय है(110) वे बोले

इनको और इनके भाई को मोहलत दीजिए और शहरों में हरकारे भेज दीजिए(111) वे आपके पास माहिर जादूगर ले आएं(112) और जादूगर फिरऔन के पास पहुंच गए बोले कि हमें पुरस्कार तो मिलेगा ही अगर हम ही विजयी हुए(113) उसने कहा हाँ–हाँ और तुम्हारी गिनती तो करीबी लोगों में होगी(114) वे बोले ऐ मूसा तुम्हीं फेंको या हम (अपनी जादू की चीज़ें फेंकते) हैं(115) कहा तुम ही फेंको तो जब उन्होंने फेंका तो लोगों की नज़र बन्दी कर दी और उन्हें भयभीत कर दिया और वे ज़बर्दस्त जादू ले कर आये(116) और हमने मूसा की ओर ''वह्य'' भेजी कि अपनी लाठी डाल दो बस वे जो ढ़ोंग बनाकर लाए थे वह उसको निगलने लगी(117) बस सत्य प्रकट हो गया और उनका सारा किया धरा खाक में मिल गया(118) तो यहां आ कर वे हार गए और तुच्छ (ज़लील) हो कर रह गये(119) और जादूगर सजदे में गिर गये(120) कहने लगे कि हमने संसारों के पालनहार को मान लिया(121)

तफ़्सीर (व्याख्या):–

1. जो लोग अल्लाह के अज़ाब में गिरिफ़्तार होते हैं वे अपनी करतूतों के कारण होते हैं, अल्लाह को अपने बन्दों से कोई ज़िद नहीं, अगर वे मानें तो अल्लाह अपनी नेमतों से उन्हें माला माल कर देगा।

2. ऐसा लगता है इसका आशय मक्के के मुश्रिक हैं, विगत घटनाएं सुना कर उनको चेताया जा रहा है।

3. यानी वे दुन्या की चमक दमक में मस्त हो कर अल्लाह के अज़ाब से निडर हो गये।

4. जिस प्रकार पहलों को पकड़ चुके हैं उसी प्रकार इनको भी पकड़ लेंगे।

4. एक बार इनकार कर दिया तो ऐसी जिद पैदा हुई कि उन्होंने माना ही नहीं।

5. जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने कीं और जब जब कीं कभी उस पर पूरे न उतरे।

6. हज़रत मूसा हज़रत याकूब ही की संतान में बड़े पैग़म्बरों में गुज़रे हैं उनके और फिरऔन की घटनाएं, सत्य व असत्य की कश मकश फिर सत्य की विजय और असत्य की पराजय और बनी इस्राईल की शिक्षाप्रद कहानी पर आधारित हैं और इसमें मुसलमानों के लिए बड़ा मार्गदर्शन की बातें और शिक्षाएं हैं इसलिए यह घटनाएं पवित्र कुरआन में विभिन्न स्थानों पर बयान की गई हैं।

7. हज़रत मूसा अलै0 ने बहुत सी नसीहतें कीं लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण चीज़ यह थी कि वह बनी इस्राईल को फिरऔन और उसकी क़ौम से निजात दिलाएं और उनके वास्तविक देश ''शाम'' में उनको पहुँचा दें जिसको हज़रत इब्राहीम अलै0 ने अपना देश बनाया था, मिस्र में वह हज़रत यूसुफ़ के बाद आबाद हुए थे और क़िब्तियों ने उनको अपने जुल्म व सितम का निशाना बना रखा था।

8. यह नज़रबंदी नहीं थी बल्कि अल्लाह के आदेश से वह लाठी अजगर बन गई थी यह पवित्र कुर्आन का चमत्कार है कि उसको कहीं अजगर कहीं दौड़ाता हुआ साँप, कहीं साँप को दूसरे प्रकार के शब्द से व्यक्त किया है, यह उसकी विभिन्न

शेष पृष्ठ .....08....पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

जंगे बद्र में शामिल होने वालों की फज़ीलतः–

हज़रत रिफाआ़ इब्ने राफे जुर्की से रिवायत है कि जिब्रील अलै0 नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आये और अर्ज किया कि आप अहले बद्र को अपनी जमात में कैसा समझते हैं। आपने फरमाया सब मुसलमानों से अफज़ल समझता हूँ, उन्होंने अर्ज किया कि हमारी जमात में भी बद्र में शरीक होने वाले फरिश्ते अफ़ज़ल समझते जाते हैं। (बुख़ारी)

अ़ज़ाब की व्यापकताः–

हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फरमाया जब अल्लाह तआ़ला किसी क़ौम पर अ़ज़ाब नाज़िल करता है तो उस अ़ज़ाब में अच्छे बुरे सब ही मुब्तला होते हैं। हाँ क़यामत में अपने अपने आ़माल के मुताबिक उठाये जायेंगे। (बुख़ारी—मुस्लिम)

दर्दमंद सुतून (उस्तुवान–ए–हन्नानाः–

हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि एक खजूर का सुतून था जिस पर नबी करीम सल्ल0 टेक लगा कर ख़ुत्बा फरमाते थे, जब मिम्बर रखा गया तो आप उस पर खड़े हो कर नसीहत फरमाने लगे तो हम ने सुतून से ऐसी आवाज़ सुनी जैसे दस महीने की गर्भवती ऊँटनी! नबी सल्ल0 ने मिम्बर से उतर कर उस पर अपना मुबारक हाथा रखा।

एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने उस पर अपना हाथ मुबारक रखा तो उसको सुकून हो गया और एक रिवायत में है कि जुमे के रोज़ नबी सल्ल0 मिम्बर पर तशरीफ लाये तो वह सुतून जिस पर आप टेक लगा कर खुतबा दे रहे थे इस ज़ोर से चिल्लाया कि क़रीब था कि फट जाये।

एक रिवायत में है कि वह सुतून बच्चों की तरह रोया जब नबी सल्ल0 मिम्बर से उतर कर उसके पास गये और उसको पकड़ कर गले से लगा लिया तो उसकी हिचकी बंध गई, जैसे बच्चों के रोने से हिचकी बंध जाती है, फिर उसको तसल्ली हो गयी, आप सल्ल0 ने फरमाया यह जिक्र सुना करता था, जब इस पर जिक्र बंद हो गया तो यह रोने लगा।

(बुखारी)

मान्यताएं व सज़ाएँः–

हज़रत अबू स़ालबा खुशनी रज़ि0 जुरसूम इब्ने नाशिर से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फरमाया अल्लाह तआ़ला ने मान्यतायें मुतअय्यन फरमाये हैं तुम उनको बर्बाद न करो और जो सीमायें क़ायम की हैं उनसे आगे न बढ़ो, और कुछ चीज़ें हराम की हैं, तो तुम उनके क़रीब भी न

जाओ और तुम पर मेहरबानी यह की कि बाज चीज़ों में तुम पर रहमत करते हुए बिना भूले हुए खामोशी इख़्तियार फरमाई तो तुम उनकी खोद कुरेद न करो। (दारे कुतनी)

सहाबा-ए-किराम का मुजाहिदाः-

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 के साथ सात गज़्वे किये हैं और टिड्डियाँ खा खा कर रहे।

एक रिवायत में है कि हम आपके साथ टिड्डियाँ खाते थे। (बुखारी–मुस्लिम)

मोमिन एक सूराख से दो बार नहीं डसा जाताः-

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फरमाया मोमिन एक सूराख से दो बार नहीं डसा जा सकता। (बुखारी)

अर्थातः कामिल ईमान वाला एक बार धोका खा कर फिर दूसरी बार धोका नहीं खाता, अगर एक बार गुनाह हो गया तो तौबा कर ली तो यह दोबारा गुनाह के पास न जायेगा।

रहमत से वंचित तीन लोगः-

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम सल्ल0 ने फ़रमाया तीन आदमी हैं जिन से क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला न तो बात करेगा और न उनकी तरफ़ देखेगा, न उनको गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब है, एक वह आदमी कि बयाबान में उसके पास ज़रूरत से ज़ियादा पानी है लेकिन मुसाफिर को न दिया, दूसरा वह आदमी जिसने कोई चीज़ अस्र के वक़्त बेची और खरीदार से खुदा की क़सम खाई कि मैंने यह चीज़ इतनी क़ीमत की खरीदी थी और खरीदार ने उसको तसलीम कर लिया जब कि उस कीमत पर नहीं खरीदा था, तीसरा वह आदमी जिसने इमाम से बैअ़त सिर्फ दुन्या की खातिर की, अगर इमाम ने उसको कुछ दिया दिलाया तो उसने अपने वादे को पूरा किया और अगर न दिया तो अह्द पैमान को तोड़ दिया।

(बुख़ारी–मुस्लिम)

❖❖❖

–प्रस्तुति–
जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

कुर्आन की शिक्षा.....

परिस्थितियों का बयान है कि कभी वह अज़गर बन जाता है कभी साधारण सांप की तरह दौड़ने लगता है और कभी साँप का दूसरा प्रकार बन जाता है।

9. यह भी मोअ्जिज़ा था कि लगता था हाथ से रौशनी फूट रही है।

10. दोनों मोअ्जिज़े देख कर फिरऔन ने राय मश्वरा किया और यह क़रार पाया कि यह जादू है इसके मुक़ाबले के लिए देश भर के माहिर जादूगर बुलाए जाएं, वह ज़माना जादू के वर्चस्व का था सब माहिर जादूगर आ गए उनको अपनी विजय का विश्वास था इसलिए फरऔन से पुरस्कार माँगा।

❖❖❖

–प्रस्तुति–
जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

नया साल मुबारक हो (नव वर्ष की बधाई हो)

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

यह दिन आते जाते रहते हैं, 2020 गया 2021 का नव वर्ष आया, प्रिय पाठक! नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई स्वीकार करें, मालिक करे यह वर्ष हिन्द वासियों के लिए हर प्रकार शुभ सिद्ध हो, विशेषकर हमारे पाठक हर प्रकार के रोगों से मुक्त हो कर स्वस्थ रहें, हर प्रकार की आपत्तियों से बचे रहें, परस्पर प्रेम रहे सहानुभूति रहे, कहीं दंगा फसाद न हो, सरकार लोकतांत्रिक रूप से धर्म निर्पेक्षता तथा अहिंसा के नियमों के साथ शासन चलाती रहे, तथा जनता को इन नियमों के पालन पर प्रेरित करती रहे।

निःसंदेह कोरोना ने सारे संसार को और हमारे भारत को भी बहुत हानि पहुँचाई है, बहुत पीछे कर दिया है, जिसकी कल्पना से मस्तिष्क तथा हृदय हिल जाते हैं, ध्यान दें देश के कितने लाख लोग बाहर के देशों मे अच्छी कमाई करते थे, अच्छा वेतन उठाते थे, बाहर की करेंसी अपने देश में आती थी यह सब अचानक रुक गया लाखों लोगों की भारी आय रुक गयी, यह सच है कि उनको कुछ अधिक कष्ट नहीं हुआ इसलिए कि वह सब लोग बैंक बैलेंस वाले थे जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी होती रहीं इसी प्रकार गाँव कस्बे और छोटे शहरों के लाखों लोग बड़े शहरों में अच्छी कमाई कर रहे थे, जो अचानक रुक गई, उनकी अच्छी आय रुक गयी। परन्तु उनको भी कुछ अधिक कष्ट न हुआ इस लिए कि वह भी बैंक बैलेंस वाले थे, कष्ट तो उनको हुआ जो फेरी लगा कर आजीविका कमाते थे, कोई ठेले पर तरकारियाँ बेचता था, कोई ठेले पर फल फ्रूट बेचता था, कोई लय्या चना, कोई चाट बेच कर अपनी रोज़ी चलाता था कोई पापड़ बेच कर अपनी रोज़ी चलाता था तो कोई मूँगफली बेचता था। लॉकडाउन ने सब को अचानक ठप कर दिया था, यह सच है कि भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन देने का प्रबन्ध किया, क्या इससे लोगों की आय बढ़ी, नहीं नहीं लोगों की आय रुकी और सरकारी ख़ज़ाना भी खाली हुआ, इस घाटे से कौन परिचित नहीं है, निःसंदेह भारत सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजानाएं चलाईं, बड़ी सरलता से क़र्ज़ देने की योजना चलाई और करोड़ों लोगों ने इस योजना से लाभ उठाया, करोड़ों का कर्ज लेकर अपना कारोबार चमकाया, परन्तु निर्धन जनता ने क़र्ज़ लेने का साहस नहीं किया इसलिए कि उन्होंने फैसला किया कि क़र्ज़ की

वापसी सरल न होगी?

सबसे बड़ी हानि तो शिक्षण क्षेत्र को पहुँची जिसको शिक्षक ही ठीक से समझ सकते हैं, बड़ी हानि व्यक्गित संस्थानों को पहुँची है, विशेष कर मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं को, उनमें बड़ी संस्थाएं तो कुछ संभली रहीं परन्तु छोटे मकातिब जो हज़ारों हज़ार की संख्या में चल रहे थे, मुसलमान उनको अपने चन्दों से चला रहे थे वह अचानक बन्द हो गये, हज़ारों टीचर जो बहुत थोड़े वेतन पर पढ़ा रहे थे उनकी नौकरियाँ समाप्त हो गयीं लाखों बच्चों की शिक्षा रुक गयी, इस क्षति की पूर्ति कैसे होगी अल्लाह ही जाने।

हमारे देशवासी विशेष कर युवा वर्ग बड़ा साहसी है, अल्लाह ने चाहा तो वह इस नव वर्ष को परिवर्तन का वर्ष बनायेगा, हर क्षेत्र को परिवर्तित करके रहेगा दुख को सुख में बदल देगा, अल्लाह की मदद से कोरोना को समाप्त करके रहेगा, व्यापार से कारोबार से अपने परिश्रम से अपनी कला से जो वित्तीय हानि हुई है उसकी शीघ्र ही पूर्ति करेगा, शिक्षा के क्षेत्र को संभाल लेगा अल्लाह ने चाहा तो मुस्लिम समुदाय अपने मकातिब को फिर से जीवित करेंगे, यह कोई कठिन बात नहीं है। जापान का उदाहरण हमारे सामने है, हिरोशिमा, नागासाकी की तबाही के पश्चात वह जिस तरह उठे वह संसार के लिए आदर्श है, हमारा युवा भी उसी तरह उठेगा, और इस नववर्ष को ईश्वर ने चाहा तो परिवर्तन का वर्ष बना कर रहेगा, हमारा युवा समूह साहस करेगा तो अल्लाह उसकी मदद करेगा, फारसी मसल प्रसिद्ध है ''हिम्मते मर्दां मददे ख़ुदा''।

कुछ कोरोना के विषय परः-

प्रति दिन कोरोना के नये रोगियों का सिलसिला रुक नहीं रहा है यद्यपि पहले के मुकाबले में नये रोगियों की प्रतिदिन संख्या कम हुई है फिर भी ऐसा लगता है कि इस अंक के छपने तक कुल रोगियों की संख्या एक करोड़ को छू लेगी इसी प्रकार मृतकों की संख्या दूसरे देशों से बहुत कम है फिर भी मेरे निकट बहुत है ऐसा लगता है इस अंक के छपने तक मृतकों की संख्या डेठ लाख तक पहुँच जायेगी जो चिनता जनक है बड़े खेद की बात है कि शोद्धकर्ता अब तक कोरोना का टीका नहीं बना पाये वास्तव में यह नया जटिल रोग है ऐसा कि कुछ बनाये नहीं बनती परन्तु संतोष की बात यह है कि कोरोना की फ़िक्स दवा न होते हुए भी हमारे डॉक्टर कोरोना उपचार में सफ़ल हुए अब पाँच छः प्रतिशत रोगी छोड़ कर बाक़ी सब ठीक हो जाते हैं यदि हम कोरोना से बचाव के नियमों ''मास्क लगाना उचित दूरी रखना, हाथ मुँह की सफ़ाई रखना'' को अपनाए रहें तो नये रोगियों में बहुत कमी आ सकती है।

❖❖❖

–पिछले अंक से आगे

नारी की प्रतिष्ठा और उसके अधिकारों की बहाली

–हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी (रह0) – अनुवादकः मुहम्मद हसन अंसारी

इस्लामी शिक्षाः–

आप पिछली शिक्षाओं की तुलना इस्लाम के उस नये तथा विशिष्ट रोल से कीजिए जो उसने नारी की प्रतिष्ठा की बहाली, मानव समाज में उसे उचित स्थान दिलाने, अत्याचार ढ़ाने वाले कानून, अन्यायपूर्ण प्रथाओं और पुरुष के स्वार्थ व स्वाभिमान से उसे छुटकारा दिलाने के लिए अदा किया है। कुरआन का एक सरसरी अध्ययन भी नारी के सम्बन्ध में अज्ञानतापूर्ण दृष्टिकोण और कुरआनी व इस्लामी दृष्टिकोण के खुले अन्तर को समझने के लिए काफी है।

कुरआन का वह अँश जो नारी के सम्बन्ध में है, वह नारी के अन्दर आत्मविश्वास इसलिए उत्पन्न करता है कि उसके अनुसार समाज में और ईश्वर के निकट नारी का एक सुनिश्चित स्थान है। और वह धर्म व ज्ञान, इस्लाम की सेवा, भलाई के कामों में सहयोग और अच्छे समाज के निर्माण में पूरी तरह हिस्सा ले सकती है। कुरआन की आयतें कर्म के फल, मोक्ष व मुक्ति के बयान में हमेशा पुरुषों के साथ स्त्रियों का भी उल्लेख करती हैं। उदाहरण के लिए यहां कुर्आन की दो आयतों के अनुवाद प्रस्तुत किये जा रहे हैंः–

अनुवादः– *"और जो कोई अच्छे कर्म करेगा, पुरुष हो या स्त्री और वह ईमान वाला हो तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। और उन पर तनिक भी अत्याचार न होगा।"*

(सूरः निसा–124)

अनुवादः– *"सो उनकी दुआ को उनके पालनहार ने क़बूल कर लिया, क्योंकि मैं तुम में किसी कर्म करने वाले के (चाहे) पुरुष हो या स्त्री, कर्म को नष्ट नहीं होने देता, तुम आपस में एक दूसरे के पूरक हो।"*

(सूरः आलेइमरान–195)

इसी प्रकार कुरआन पवित्र जीवन के साधन व स्रोत प्रदान करने के अवसर पर भी पुरुषों के साथ स्त्रियों को याद रखता है बल्कि उसके लिए आश्वासन देता है। 'पवित्र जीवन' का अर्थ है आदर्श और सफल जीवन जिसमें सम्मान और तुष्टि हो।

अनुवादः– *अच्छे कर्म जो कोई करेगा पुरुष हो अथवा स्त्री, शर्त यह है कि ईमान वाला हो, तो उसे अवश्य एक पवित्र जीवन प्रदान करेंगे। और हम उन्हें उनके अच्छे कामों के बदले में अवश्य बदला देंगे।"*

(सूरः नहल–97)

सद्गुण, सत्कर्म तथा धर्म के प्रमुख अंशों का वर्णन करते समय कुरआन केवल पुरुषों के साथ स्त्रियों का उल्लेख और यह संकेत ही नहीं करता कि सत्कर्मों और सदगुणों में पुरुष और स्त्री में कोई अन्तर नहीं, बल्कि

इसके विपरीत कुर्आन एक एक गुण को अलग बयान करता है। और जब पुरुषों के उस गुण का बयान करता है तो उसी गुण से स्त्रियों को भी सुशोभित करता है और उनका उल्लेख करता है, भले ही इसके लिए विस्तृत वर्णन शैली अपनानी पड़े।

इसकी हिकमत यह है कि इन गुणों में शक्ति और सामर्थ रखने वाले पुरुषों के समकक्ष स्त्रियों को समझने पर वह मानव मन तैयार नहीं होता जिसका पालन–पोषण गैर इस्लामी धर्मों व विचारधारा तथा प्राचीन सभ्यता व शिष्टाचार की छत्र–छाया में हुआ है। ऐसी मनोवृत्ति ने सदैव पुरुष– स्त्री में अन्तर किया है। और स्त्रियों को अनेक अच्छी बातों में पुरुषों के साथ सम्मिलित होने से भी अलग कर रखा है। उनके हस्तक्षेप व आगे निकल जाने को सहल करने की बात तो दूर रही।

कुरआन की इस आयत को ध्यान से पढ़ियेः–

अनुवादः– *"बेशक इस्लाम वाले और इस्लामवालियाँ और ईमान वाले और ईमानवालियाँ, आज्ञाकारी पुरुष और आज्ञाकारी स्त्रियाँ, और सच्चे पुरुष और सच्ची स्त्रियाँ, और सब्र करने वाले पुरुष और सब्र करने वाली स्त्रियाँ और (अल्लाह के सामने) गिड़गिड़ाने वाले पुरुष और गिड़गिड़ाने वाली स्त्रियाँ, और रोज़ा रखने वाले और रोज़ा रखने वालियाँ और अपनी शर्मगाहों (गुप्तांगों) की हिफ़ाजत करने वाले और हिफाजत करने वालियाँ और अल्लाह को ज़ियादा याद करने वाले और अल्लाह को ज़ियादा याद करने वालियाँ इन सब के लिए अल्लाह ने पापों की क्षमा और बड़ा बदला तैयार कर रखा है।"*

(सूरः अहज़ाब–35)

कुर्आन सिर्फ आज्ञापालन और उपासना ही के सिलसिले में स्त्रियों का उल्लेख नहीं करता बल्कि सक्षम पुरुषों, विद्वानों, साहसियों, धार्मिक व नैतिक लेखा जोखा और अच्छी बातों का हुक्म करने तथा बुरी बातों से मना करने की राह में यात्नायें झेलने वालों के साथ उनका उल्लेख करता है। कुरआन स्त्री–पुरुष को एक जुट हो कर भलाई व ईश्वर से भय (ख़ैर व तक़्वा) पर सहयोग करने वाली टीम के रूप में देखना चाहता है।

अनुवादः– *और ईमान वाले और ईमान वालियाँ आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं। नेक बातों का आपस में हुक्म देते हैं और बुरी बातों से रोकते रहते हैं। और नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं और ज़कात देते रहते हैं। और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलते हैं। यह वह लोग हैं कि अल्लाह इन पर ज़रूर रहमत करेगा। बेशक अल्लाह बड़े इख़्तियार वाला और बड़ी हिकमत वाला है।"*

(सूरः तौबा–71)

कुरआन मानवता के सर्वोकृष्ट लक्ष्य प्राप्ति का साधन लिंग, नस्ल (वंशज) रंग व रक्त भेद से परे मात्र ईश्वर से भय व डर (तक़्वा) को ठहराता है।

अनुवादः—*'ऐ लोगों! हमने तुम सब को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हारी विभिन्न जातें और बिरादरियाँ ठहराई हैं ताकि एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम में से सबसे इज्जत वाला वह है जो सबसे ज़ियादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला और पूरी ख़बर रखने वाला है।''*

(सूरः हुजरात—13)

यह सब बातें औरत में साहस, स्वाभिमान तथा आत्म—विश्वास उत्पन्न करने और आधुनिक मनोविज्ञान के शब्दों में नारी को हीनता की भावना *(Inferiority Complex)* से दूर रखने के लिए काफी है।

इन्हीं शिक्षाओं के फलस्वरूप अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद से वर्तमान युग तक इस्लाम की विख्यात महिलाओं में शिक्षिकायें, दीक्षा देने वाली, जिहाद और तीमारदारी करने वाली, साहित्यकार लेखिका, कुरआन की हाफिज़, हदीस बयान करने वाली, उपासिका तथा समाज में इज्जत व हैसियत वाली महिलाओं की एक बड़ी संख्या पाई जाती है जिससे ज्ञानार्जन किया गया और जिनसे दीक्षा प्राप्त की गई और जो उच्च एवं आदर्श व्यक्तित्त्व रखती थीं।

इस्लाम ने मुसलमान औरत को जो अधिकार दिये हैं उनमें कुछ इस प्रकार हैं। मिलकियत व मीरास का हक़, क्रय विक्रय का अधिकार, पति से अलग होने (खुला) का अधिकार (अगर ज़रूरी हो) मँगनी समाप्त करने का अधिकार (अगर उससे वह सहमत न हो) दोनों ईद, जुमा की जमाअत की नमाज़ों में सम्मिलित होने का अधिकार। इनके अतिरिक्त अधिकारों का विस्तृत वर्णन 'फिक्ह' (इस्लामी विधि—शास्त्र) की किताबों में मौजूद हैं।

योरोप के न्यायप्रिय विद्वानों की स्वीकारोक्तिः–

योरोप के अनेक न्यायप्रिय विद्वानों तथा समाज शास्त्र के पंडितों व इतिहास के विशेषज्ञों ने कुरआन की इन शिक्षाओं की बढ़त और बरतरी को स्वीकार किया है। हम यहाँ दो तीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं:—

श्रीमती एनीबेसेन्ट जिन्होंने भारत में सुधारात्मक आन्दोलन का नेतृत्व किया और जो दक्षिण भारत की एक साँस्कृतिक संस्था, 'थियोसाफिकल सोसाइटी' की अध्यक्षा रही हैं और जिन्होंने भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी भाग लिया था, कहती हैं (किसी महिला की गवाही इसलिए भी महत्व रखती है कि वह नारी के मामले में संवेदनशील होती है और उसकी ओर से बचाव में रुचि रखती है)।

''आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इस्लाम धर्म की इसलिए आलोचना करते हैं कि यह सीमित बहुविवाह *(Polygamy)* को जायज ठहराता है किन्तु आप को मेरी वह बात नहीं बताई

जाती जो मैंने लन्दन के एक हाल में व्याख्यान देते हुए कही थी। मैंने श्रोतागणों से कहा था कि एक पत्नी होने की दशा में बड़े पैमाने पर बलात्कार की मौजूदगी ढोंग है और *(Hypocrisy)* है और सीमित बहुविवाह से अधिक अपमानजनक है। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के बयान को लोग बुरा मानते हैं किन्तु इसे बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि स्त्रियों के सम्बन्ध में इस्लाम के क़ानून अभी हाल तक इंग्लैंड में अपनाये जा रहे थे। यह सब से अधिक न्यायाचित कानून था जो दुन्या में पाया जाता था। सम्पत्ति, उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिकार और तलाक़ के मामले में यह योरोप से कहीं आगे था और नारी के अधिकारों का रक्षक था। 'एक पत्नी' और बहुपत्नी' और बहुपत्नी के शब्दों ने लोगों पर जादू कर दिया है और वह योरोप में नारी के उस अपमान पर नज़र नहीं डालना चाहते जिसे उसके प्रथम रक्षक सड़कों पर मात्र इसलिए फेंक देते हैं, कि उससे उनका दिल भर जाता है और वह फिर उनकी कोई मदद नहीं करता।''

श्री एन0एल0 कुल्सेन *(N.L. Coulsen)* अपनी पुस्तक *'A History of Islamic Law'* में लिखते हैं:–

''निःसंदेह महिलाओं की हैसियत के मामले में विशेष कर विवाहित औरतों के मामले में क़ुरआन के क़ानून उच्चस्थान रखते हैं। निकाह और तलाक़ के क़ानून बड़ी संख्या में हैं जिनका सामान्य उद्देश्य औरतों की हैसियत में बेहतरी लाना है। और वह अरबों के क़ानून क्रान्तिकारी परिवर्तन के द्योतक हैं.....

'इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रेलिजन एण्ड इथिक्स' का लेखक लिखता है–

''मुहम्मद सल्ल0 ने निश्चय ही नारी का दर्जा उससे अधिक ऊपर उठाया जो उसे प्राचीन अरब में प्राप्त था। विशेषकर नारी मृत पति की सम्पत्ति (तर्के) का जानवर नहीं रही, बल्कि स्वयं तर्का पाने की हक़दार हो गई और एक आज़ाद व्यक्ति की तरह उसे दोबारा शादी पर मजबूर नहीं किया जा सकता था। तलाक़ की सूरत में पति पर यह वाजिब हो गया कि वह उसे वह सब चीज़ें दे दें जो उसे शादी के समय मिली थीं।

इसके अतिरिक्त उच्च वर्ग की महिलायें ज्ञान–विज्ञान और शायरी में रुचि लेने लगीं। और कुछ ने गुरु की हैसियत से भी काम किया। जनसाधारण की स्त्रियाँ अपने घर की मालिकन की हैसियत से अपने पतियों के सुख–दुख में सम्मिलित होने लगीं। माँ की इज़्ज़त की जाने लगी।'

❖❖❖

नबी के अख़लाक़ का अनुपम प्रभाव

—मौलाना सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी

—प्रस्तुतिः मु0 गुफ़रान नदवी

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तौहीद (ऐकेश्वरवाद) और ईमान की दावत इस ढंग से दी कि जिसने भी ध्यान से सुना, बात उसके दिल में उतर गई और उस पर उसका ईमान स्थिर हो गया, और आपका अख़लाक़ी, इन्सानी हमदर्दी और महब्बत भरा व्यवहार भी ऐसा था कि जिसने भी क़रीब से देखा और सुना वह केवल प्रभावित ही नहीं हुआ बल्कि दिलो जान से आपका कहना मानने वाला बन गया और आप पर फ़िदा होने के लिए तैयार हो गया, और यह हालत सिर्फ़ दो चार आदमियों की नहीं हुई बल्कि जिसने भी आप को देखा सुना और समझा उसकी यही कैफ़ियत हो गई, इस प्रकार आपकी 23 वर्षीय दावती ज़िन्दगी में ईमान वालों की ऐसी जमाअत तैयार हो गई जिस की नज़ीर (उपमा) इतिहास में नहीं मिलती, यही जमाअ़त आपके दुन्या से तशरीफ़ ले जाने के बाद आपकी पूरी नियाबत (प्रतिनिधित्व) करने वाली बन गई और आपके मिशन को उसने पूरी दियानत व अमानत और लगन के साथ जारी रखा, यह हज़रात मक्का मुकर्रमा की 13 वर्षीय काल में कम संख्या में थे और कुरैश के विभिन्न ख़ानदानों में बिखरे हुए थे, इसलिए हर एक को स्वयं उसके रिश्तेदार परेशान करते थे, इस प्रकार वह कुरैश के कठोर दिल काफ़िरों और इस्लाम का विरोध करने वालों के अत्याचार का निशाना बनते थे, लेकिन इसके बावजूद यह ईमान वाले अपने ईमान पर पूरी तरह जमे रहे थे, उनके सामने अल्लाह की ख़ुशनूदी प्रसन्नता और हुज़ूर की महत्व और आख़िरत का मसअलः था जिसको उन्होंने लिदो जान से कबूल किया था, जो भी ईमान लाता चाहे अमीर होता चाहे ग़रीब, बड़े ख़ानदान का होता या कमज़ोर पोज़ीशन का, उसका ऐसा ही पुख़ता ईमान पैदा हो जाता।

यह ईमान ज़ियादातर दो कारणों से पैदा होता था एक कारण अल्लाह तआला का कलाम मोजिज़बयान (इन्सानी क्षमता से बारह कथन) जिसको एक बार भी सुन लेने से आदमी का दिल बदल जाता था, दूसरा कारण आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अख़लाक़ व शफ़कत (दया) को क़रीब से देख लेना था, कुर्आन मजीद सुन कर ईमान लाने वालों की संख्या बहुत थी, और आपके अख़लाक़ व बात चीत सुन कर प्रभावित होने वालों की संख्या भी बहुत थी, आप से प्रभावित होने की मिसाल ''समामा बिन असाल'' की घटना है वह कहते हैं कि वह हुज़ूर सल्ल0 के पास दुशमनी बल्कि नुक़सान पहुंचाने की नियत से आये लेकिन मिलते ही बदल गये और कहने लगे कि ''या रसूलुल्लाह! क़सम है ख़ुदा की कि सारे आलम में मुझको आपसे ज़ियादा और किसी से ऐसी ''नफ़रत'' न

थी लेकिन अब तो आप ही दुन्या में सबसे बढ़ कर प्यारे मालूम होते हैं।

आप पर ईमान लाने वालों का हाल आपकी महब्बत और तरबियत (प्रशिक्षण) से ऐसा बन जाता कि उनके दिलों में ईमान लाते ही इस प्रकार की महब्बत और फ़िदाइयत की कैफ़ियत पैदा हो जाती और फिर आपकी रहनुमाई और उपदेश से ज़िन्दगी की बुलन्द हक़ीक़तों से जानकारी इस दर्जे पैदा हो जाती कि उनको उच्च उद्देश्य के लिए जान निछावर कर देने में ज़रा भी तकल्लुफ़ न होता, और अपने रहबर और उस्ताज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आज्ञा पालन में बिला झिझक जान कुरबान कर देने के लिए तैयार हो जाते, अपनी चाहत और इच्छा में चाहे जितने सख़्त हों, अल्लाह के नबी की मरज़ी के सामने दूसरे की परवाह न करते।

अल्लाह के नबी पर जो भी ईमान लाया उसने इसी बात का सुबूत दिया, उसकी एक बड़ी मिसाल सुलह हुदैबिया में सहाबा किराम रज़ि0 का कुरैश की ज़ालिमाना शर्तों को कुबूल कर लेना और आप सल्ल0 की मरज़ी के सामने झुक जाना है और ग़ज़व–ए–ख़न्दक में तीन हफ़्तों से ज़ियादा ग़रीबी, फ़ाक़े और सख़्त सर्दी की हालत में अपनी जान हथेली पर लिये जमे रहना है, और ग़ज़व– ए–उहद में जब दुशमन आमने सामने था तो दसयों जांनिसार सहाबा आपके सामने आ गये और दुशमनों के वार अपने सीनों पर लिये और सारे जख़्म बर्दाश्त किये ताकि हुजूर सल्ल0 सुरक्षित रहें और सब एक एक करके आप पर कुरबान हो गये, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ि0 ने अपना हाथ सामने कर दिया और तीरों को रोकना शुरु किया, यहां तक कि उनकी सब उंगलियां ज़ख़्मों से लहूलुहान हो गईं और हाथ लुंज हो गया, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ि0 ने ''ख़ोद'' (लोहे का टोपा) की एक कड़ी को अपने दाँतों से पकड़ कर निकाला तो उसी के साथ उनका एक दांत भी गिर पड़ा, दूसरी कड़ी निकाली तो दूसरा दाँत भी उसी के साथ बाहर आ गया। हज़रत अबू दुजाना रज़ि0 ढाल बन कर आपके सामने खड़े हो गये, तीर उन पर गिरते रहे लेकिन वह उसी तरह आप पर झुके रहे यहां तक कि उनकी पीठ तीरों से छलनी हो गई। गज़व–ए–उहद के बाद मुसलमान मदीना पहुंचे, तो रास्ते में बनी दीनार की एक ख़ातून के मकान पर उनका गुज़र हुआ जिसके बाप, भाई और शौहर सब इस जंग में काम आ गये थे, बारी बारी तीन हादसों की इत्तिला उनके कानों में पड़ी थी लेकिन हर बार वह यह पूछती थीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कैसे हैं? लोगों ने कहाः ख़ैरियत से हैं उन्होंने पास आ कर चेहरा मुबारक देखा और बेइख़्तियार पुकार उठीं "आपके होते सब मुसीबतें छोटी हैं''।

जब कुफ़्फ़ारे कुरैश ज़ैद बिन दसना को क़त्ल करने के लिए ''हरम'' से बाहर लाये तो अबू सुफ़यान ने उनसे कहा ज़ैद मैं तुम से क़सम दिला कर पूछता हूं क्या तुम यह पसन्द करोगे कि तुम आराम से अपने घर वालों में हो और तुम्हारी जगह मुहम्मद सल्ल0 हों? जैद ने जवाब दिया कि मुझे तो यह भी गवारा नहीं कि मैं अपने घर में आराम से हूं और मुहम्मद सल्ल0 को एक काँटा भी चुभे। अबू सुफ़यान ने इस पर कहा मैंने किसी को किसी से इतनी महब्बत करते नहीं देखा, जितनी महब्बत मुहम्मद के साथी मुहम्मद से करते हैं। जो शख़्स भी कुछ मिनट के लिए ईमान के साथ हुज़ूर सल्ल0 से मिल जाता वह आप पर सब कुछ कुरबान कर देने के लिए तैयार हो जाता, कुछ ऐसे लोग थे जो मदीने में यहूदियों से क़रीब थे ऊपर से ईमान वाले थे अन्दर से दुशमन, लेकिन आप सल्ल0 ने उनके साथ भी महब्बत और रवादारी का व्यवहार किया, यही वजह थी कि नबी करीम सल्ल0 के सहाबा किराम की जो जमाअत थी वह ईमान और महब्बते रसूल और आपके लाये हुए दीने इस्लाम की पैरवी में अटल पहाड़ के समान थी, थोड़े समय में इतनी बड़ी संख्या में यह जमाअत तैयार हुई कि मानव इतिहास में इसका कोई उदाहरण नहीं, वास्तव में यह अल्लाह की ओर से था, जिसने यह फ़ैसला किया कि आप सल्ल0 के बाद किसी नबी के आने की ज़रूरत नहीं, और आप सल्ल0 की संगत और रहनुमाई प्राप्त करने वालों की जमाअ़त को ऐसी विशेषताओं वाला और ऐसे आचरण वाला बना दिया कि पूर्ण रूप से नबी के प्रतिनिधि बनें और दीन और उत्तम मानव आचरण को आगे बढ़ायें, उस जमाअत का हर व्यक्ति अपनी जगह सूरज और चाँद था, इसकी तसदीक़ नबी करीम सल्ल0 ने फरमाई, आप सल्ल0 ने फ़रमाया ''मेरे सहाबा सितारों के समान हैं, उनमें से जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पाओगे''।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जो जितना ज़ियादा करीब रहा उसको उतना ही ज़ियादा प्राथमिकता हासिल हुई आप सल्ल0 से सबसे ज़ियादा क़रीब हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि0 रहे कि जिनसे आपकी संगत और दोस्ती नबूवत से पहले से थी वह लगभग आपके हम उम्र थे केवल दो ढाई साल छोटे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद इस दीन इस्लाम को क़ाएम रखने और आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी सबसे पहले आप को मिली और ख़लीफ़–ए–अव्वल हुऐ, फिर इसी तरतीब से आपके बाद तीन दूसरे ख़लीफ़ा हुए जो आप के सच्चे जांनशीं हुए और खुलफ़ा–ए–राशिदीन कहलाये इन सबके द्वारा ''खिलाफते राशिदा'' अर्थात उच्च कोटि की ख़िलाफ़त आप सल्ल0 की वफ़ात के बाद तीस साल तक जारी रही और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ''वही''

के ज़रिए जो अख़लाक़ और विशेषताएं, जीवन की विभिन्न ज़िम्मेदारियों में जो कार्य विधि अपनायी थी और अपने सहाबा को उसकी तरबियत दी थी, उसके अनुकूल इस्लामी जीवन पद्धति को सहाबा किराम के ज़रिए पूर्ण रूप से जारी किया जाता रहा जो भविष्य के लिए उच्चतर उदाहरण बन गया और सच्चे दीन का रास्ता रोज़े रौशन के समान नियुक्त हो गया। और बाद में आने वालों के लिए नमूना बन गया।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 23 वर्षीय तरबियत व हिदायत के बाद आप सल्ल0 के विश्वासपात्र सहाबा के पास तीस साल तक इस ज़िम्मेदारी के रहने से दुन्या के सामने खिलाफ़ते राशिदा का पूरा नमूना आ गया, यह सब अल्लाह की ओर से इन्तिज़ाम था कि दस साल ''वही इलाही'' के अन्तर्गत ख़ुद हुज़ूर सल्ल0 के ज़रिये और फिर 30 साल आप सल्ल0 के तरबियत दिये हुए हज़रात के अन्तर्गत गुज़रे इन चालीस सालों में दीने इस्लाम का एक पूर्ण नमूना सामने आ जाये और क़ियामत तक इसी को सामने रख कर अमल की कोशिश की जाये क्योंकि दीन मुकम्मल कर दिया गया था। इसमें किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं, क़ियामत तक इन्सानों की सलाह व फ़लाह के लिए बिलकुल काफ़ी हैं, वह अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ दीन है जो इन्सानों के स्वभाव एवं प्रकृति को शुरु से आखिर तक जानने वाला और बताने वाला है इसी लिहाज़ से उसको मुकम्मल फ़रमा दिया गया और अल्लाह की ओर से उसकी सुरक्षा का वादा भी फ़रमा दिया गया ''हमने इस किताब को उतारा और हम ही इसकी हिफ़ाज़ करने वाले हैं''।

(सूरः अल–हिज्र–9)

दूसरी जगह फ़रमाया ''आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर मुकम्मल कर दीं और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसन्द किया''।

(सूरः माइदा–3)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद जिन हज़रात को यह सिलसिला चलाना था अर्थात आपके क़रीबी असहाब की जमाअत दीने इस्लाम की वह मिसाली जमाअ़त बनी जिसने नबी सल्ल0 के क़ौल व फ़ेल को अच्छी तरह समझा था, और वह उसके लिए अपनी मर्ज़ी और इच्छा को मिटा चुके थे और अपने नबी का आईना बन चुके थे, वह कोई ऐसी बात नहीं कह सकते और न कर सकते थे, जो अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, यह जमाअ़त, जमाअ़ते सहाबा कहलाई जिनकी संख्या हज़ारों से ज़ियादा हुई।

मुहम्मद सल्ल0 ने जो जमाअत तैयार की वह ख़ानदानी, क़ौमी, नसली, क़बाइली, इलाक़ाई और रंगरूप की बुन्याद पर नहीं, बल्कि ख़ालिस दीने इस्लाम की बुन्याद पर मुत्तहिद थी।

❖❖❖

इज्तिमाई कोशिश से पहले इंफ़िरादी कोशिश की ज़रूरत

—मौलाना डॉ0 सईदुर्रहमान आज़मी नदवी —हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

बे अस्ल और ला यानी बातों को अक्सर लोग ख़ुराफ़ात से ताबीर करते हैं, इस लफ़्ज़ का किस्सा यूँ बताया जाता है कि अरब में क़बील—ए—जुहैना के एक शख़्स का नाम ''खुराफा'' था जिसको जिनों की एक जमात उचक ले गई थी और वह उनके पास बहुत दिनों तक मुक़ीम रहा, फिर जब उसको रिहाई हासिल हुई और अपनी क़ौम में वापस आया तो वह बेशुमार ऐसी ऐसी बातें और किस्से बयान करने लगा कि बिल आख़िर लोग उसकी सच्चाई पर शुब्हा करने लगे, और कुछ ही दिनों बाद वह अपने झूठ बोलने और बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलने में ऐसा मशहूर हुआ कि ख़ुराफात हर बेअस्ल और ला यानी बात का नाम पड़ गया, और उसी वक़्त से ख़ुराफात की इस्तिलाह चल पड़ी।

यह किस्सा तारीख़ी हैसियत से चाहे जैसा कुछ भी हो, लेकिन इस हक़ीक़त से इंकार नहीं किया जा सकता कि किज़्ब बयानी और मुबालगा आमेज़ी में बड़ी लज़्ज़त है, मसलन एक बातूनी शख़्स को आप ले लीजिए, उसको जितनी दिलचस्पी मज्लिस आराई और मुबालगा आमेज़ गुफ़्तगू से होगी उतनी शायद किसी और चीज़ से न हो चुनांचे वह अपनी इस हवस को पूरा करने के लिए बे हक़ीक़त वाक़िआत को अस्ल बना कर पेश करने और उसमें रंग आमेज़ी करने के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करता है, वह लोगों को हंसाता है और उनको मुतअस्सिर होते हुए देख कर बे हद खुश होता है।

हमारे मुआशरा में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मौजूद है जिन का मिज़ाज ही यह है कि वह हर बात में रंग भर कर और उसको मुबालगा के साथ बयान करें, इस तरह के लोग अक्सर दूसरों से सुनी सुनाई बात या किसी वाक़िआ को ऐसे ज़ाविए से नक़्ल करते हैं कि अगर वह मामूली और नाक़ाबिले तवज्जो हो तब भी बहुत ज़ियादा ख़ौफनाक और क़ाबिले तवज्जोह बन जाए, वह एक बात में कई बात और एक पहलू में अनेक पहलू मिला कर कुछ इस तरह बयान करते हैं कि सुनने वाले पर असर पड़ना ज़रूरी होता है।

यह एक आदत या मामूल है जिसमें इल्म व जहल, अफ़राद व जमात और छोटे बड़े का कोई दख़ल नहीं है, बल्कि एक वाक़िआ पेश आता है, जो अपनी उमूमियत के लिहाज़ से सब पर अयां है, मजलिसों व महफिलों में इसका चर्चा है, अख़बारात में इसकी ख़बरें छप रही हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जितनी मुख़्तलिफ मजलिसें हैं उतनी ही मुख़्तलिफ बातें हो रही हैं, वजह बिलकुल ज़ाहिर है कि हर शख़्स इस खबर या वाक़िआ को ज़ियादा से ज़ियादा अहम बना कर पेश करना चाहता है, ताकि उसी के मुताबिक उस की अहमीयत का इज़हार हो सके, और किसी न किसी पहलू से वह

लोगों की निगाहों में मुम्ताज़ नज़र आये।

किसी बात को फैला कर उसको अहम बनाने में ना समझी का वह जज़्बा काम करता है जिसमें इन्सान को अपनी शख़्सियत का एहसास होता है, यही एहसास बाज़ वक़्त बहुत ज़ियादा मुबालगा आमेज़ी पर मजबूर करता है, जहां से एक मामूली हैसियत का इन्सान थोड़ी देर के लिए बड़ी शख़्सियत की शक्ल में अपने आईने में दिखाई पड़ता है।

मुबालगा आमेज़ी या किज़्ब बयानी एक ही जिन्स की दो चीजें हैं, इस जिन्स में चूंकि नफ़्स को बे हद लज़्ज़त और खुशी महसूस होती है, इसलिए इसकी तरफ़ मैलान होना एक फितरी बात है, नफ़्स के इस मैलान को अगर कोई चीज़ रोक सकती है तो सिर्फ दीनी बेदारी या खुदा का ख़ौफ़ ही हो सकता है, सच बोलने में बाज़ औक़ात बज़ाहिर नुक़सान और झूठ में नफ़ा नज़र आता है, लेकिन इसके बावजूद झूठ का बातिनी नुक़सान इस क़द्र भयानक है कि इस की मिसाल समाज में क़दम क़दम पर मिलती है चोर अपनी चोरी में माख़ूज़ हो जाता है तो वह मुख़्तलिफ़ तरीक़ों और झूठ के ज़रीए अपनी बे गुनाही को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन जूं ही कोई फ़ौरी और तकलीफ़ दे सज़ा उसको मिली वह फौरन अपनी ग़लती का इक़्रार कर लेता है, हालांकि अगर वह सही बोलता और अपनी चोरी पर नदामत का इज़हार कर लेता तो शायद उसको यह सज़ा भी न भुगतनी पड़ती, नफ़्स के इसी रुजहान को बदलने के लिए शरीअत ने बार बार समाज की इस ख़तरनाक बीमारी की तरफ़ तवज्जोह दिलाई है और इससे बाज़ रहने की तरग़ीब दी है।

इसके विपरीत दुन्या के किसी भी समाज को आप ले लीजिए, कहीं भी झूठ, मुबालगा आमेज़ी और दरोग़ बयानी से रोकने के लिए किसी क़ानून या झूठ बोलने पर किसी ख़ास क़ानूनी सज़ा का वजूद नहीं है, अगर हम ग़ौर करें तो यह बात बिल्कुल साफ़ तौर से नज़र आती है कि जिस समाज के लोग आपस में किज़्ब बयानी रवा रखते हों वह हरगिज़ कामयाबी और मुअस्सिर सोसाइटी क़ाइम करने की सलाहियत नहीं रखते, और न वह दुन्या में कोई मानसिक या बौद्धिक इंक़िलाब बरपा करने की सामर्थ्य रखते हैं।

इस्लामी मुआशरा अपने पहले दौर में जिन ख़ुसूसीयात का हामिल था, उन में हक़ गोई और बे बाक़ी को बड़ी अहमीयत हासिल है, बड़े–बड़े बादशाहों के सामने हक़ गोई और रास्त बाज़ी का वह मेयार इस मुआशरा के अफ़राद ने क़ाइम किया जिस की मिसाल अब मफ़क़ूद है, यही वजह थी कि सोसाइटी निहायत पाक व साफ़ और अख़्लाक़ी अक़दार का एक आला नमूना थी, वहां किज़्ब व इफ़्तिरा और रियाकारी व मस्लहत बीनी का कहीं वजूद न था।

लेकिन ज़माना जूं जूं गुज़रता गया, अख़्लाक़ी पस्ती भी रोनुमा होती गयी और अब इस्लामी मुआशरा में वह सारी खराबियाँ और तमाम खतरनाक बीमारियाँ दाख़िल हो चुकी हैं जो न सिर्फ चंद अफ़राद या किसी जमात के लिए खसारा व हलाकत का बाइस हैं, बल्कि पूरी सोसाइटी इस ख़तरा से दो चार है, क़दम–क़दम पर ऐसी मिसालें मिलती हैं जिनमें सरा सर अख़्लाक़ी गिरावट और ज़ेहनी गिरावट की कार फरमाई होती है।

समाज का एक शख़्स कभी अपने दूसरे साथी के लिए किसी इज़्ज़त, बड़ाई और बलन्दी को न सिर्फ यह कि गवारा नहीं कर सकता, बल्कि उस की पूरी कोशिश यह होती है कि इज़्ज़त व बड़ाई उस शख़्स से मुंतक़िल हो कर उसकी तरफ़ आ जाए, अगर सिर्फ इतना ही होता कि किसी की इज़्ज़त व बलन्दी को देख कर यह तमन्ना उभरती कि वह उसके अन्दर बाक़ी रहते हुए, अपने अन्दर भी पैदा हो जाए तो ज़ियादा नुक़्सानदेह न था, लेकिन नफ़्स की ख़्वाहिश यह होती है कि:–

- दूसरे को नुक़्सान पहुंचा कर ख़ुद फाइदा हासिल करना।
- दूसरे को ज़लील करके खुद इज़्ज़त व वक़ार पाना।
- दूसरे को मुहताज बना कर खुद साहिबे दौलत होना।

मैं समझता हूं कि इन ख़राबियों की एक ही वजह है, और वह यह है कि किज़्ब के साथ हसद भी पूरी तरह अपना काम करता है, ज़ेहन के इस रुजहान को बदलने के लिए पहले उन्हें छोटी छोटी बीमारियों का ख़ातमा करना होगा, और उसके लिए सामूहिक कोशिश से पहले व्यक्तिगत कोशिश की ज़रूरत है, इसके बगैर सारी कोशिशें बे सूद और तमाम तगो दव बेकार हैं। ◆◇◆

इस्लाम दीने रहमत –इदारा

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दस वर्षीय मदनी जीवन काल में अरब प्रायद्वीप का लगभग 274 वर्ग मील प्रतिदिन इस्लाम के असर में आता गया मुसलमानों के जानी नुक़सान को देखा जाए तो महीने में एक आदमी का औसत पड़ता है। दस वर्ष पूरे नहीं हो पाये थे कि 10 लाख वर्ग मील का इलाक़ा इस्लाम के अधीन आ चुका था। इसकी तुलना दो विश्व युद्धों से कीजिए तो आपको सही हालत का पता चलेगा।

इन्साईक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इस प्रकरण पर जो कुछ लिखा है उससे पता चलता है कि प्रथम विश्व युद्ध में मरने वालों की संख्या 64 लाख थी, तथा दूसरे विश्व युद्ध में यह संख्या 3.5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच थी। इन दोनों युद्धों ने जैसा कि सब जानते हैं इन्सानियत को कोई लाभ नहीं पहुँचाया न इनसे कोई समस्या हल हुई।

मध्य युग में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा स्थापित जांच अदालतों का जो नास्तिक निशाना बने उनकी संख्या एक करोड़ 20 लाख तक पहुँचती है।

(''नबी-ए-रहमत'' मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी-पेज नं0 506)

नई तालीमी पॉलिसी (NEP) एक जाइज़ा

—मुहम्मद शाहिद खाँ नदवी

कहावत है कि पेड़ अपने फल से और इन्सान अपने कथन और कर्म से पहचाना जाता है इसीलिए उचित तौर से कहा जा सकता है कि इन्सानी बुद्धि और विचार के झरोके में झाँक कर किसी भी क़ौम के तालीमी ढाँचे को देखा और समझा जा सकता है क्योंकि ज़मीन में जैसे बीज डाले जायेंगे खेती उसी के अनुसार तैयार होगी, वास्तव में किसी भी क़ौम की तरक़्क़ी का राज़ उसकी शिक्षा और दीक्षा की उत्तम व्यवस्था पर निर्भर होती है।

आज की दुन्या में यदि यूरोप की चर्चा और बोलबाला है तो उसके पीछे उसकी शिक्षा और दीक्षा की उत्तम व्यवस्था और रिसर्च संस्थाओं की स्थापना है।

हमारे मुल्क हिन्दुस्तान में आज़ादी के बाद पहली बार 1966 ई0 में कोठारी कमीशन ने तालीमी पॉलिसी को पेश किया था, उसके बाद 1986 ई0 में दूसरी बार और फिर 1992 ई0 में तीसरी बार उसमें कुछ संसोधन किया गया था और अब 34 सालों के बाद 29 जुलाई सन् 2020 ई0 को भारत सरकार ने डॉ0 कस्तूरी रंजन के निर्देश में तैयार की गई नई तालीमी पॉलिसी को मुल्क के सामने पेश किया है, देश की शिक्षा प्रणाली पर आने वाले दिनों में गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पॉलिसी की अच्छाइयों और कमियों का एक जाइज़ा लेना ज़रूरी है।

अच्छाइयाँः–

(1) इस पॉलिसी के आने के बाद 10+2 फ़ारमूले का अन्त हो जायेगा, इस फ़ारमूले के अनुसार किसी भी बच्चे की प्राइमरी शिक्षा 6 साल की उम्र से शुरु हो कर 10 साल तक जारी रहती थी, फिर उसके बाद दो वर्षीय हाएरसिकेन्ड्री का कोर्स होता था, इस प्रकार 18 साल की उम्र तक बच्चा अपनी प्राइमरी और सिकेन्ड्री लेवल तक की शिक्षा पूरी कर लेता था लेकिन उसकी जगह अब जो नया फ़ारमूला पेश किया गया है उसे 5+3+3+4 का नाम दिया गया है, जिसके अनुसारः—

5) =age 3-8 (Foundational
3) =age 8-11 (Preparatory
3) =age 11-14 (Middle
4) =age 14-18 (Secondary

अर्थात किसी बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा तीन साल की उम्र से शुरु हो कर विभिन्न चरणों से गुज़रते हुए 18 साल की उम्र तक पूरी हो जायेगी।

(2) नई पॉलिसी मलटी इन्ट्री, एक्जिट और क्रेडिट सिस्टम पर आधारित है, जिसका मतलब यह है कि अब किसी एक स्ट्रीम (विषय) को लेना मजबूरी नहीं होगी

बल्कि कोई भी विद्यार्थी जब चाहे अपना विषय बदल सकता है और मन चाहा विषय ले सकता है, मसलन अगर साइन्स का स्टूडेन्ट आर्ट में जाना चाहेगा या कामर्स पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए अब ऐसा करना नामुमकिन नहीं होगा, इसी तरह अंक देने के बजाये उसे क्रेडिट दिया जायेगा।

(3) अब तक इन्टरनेशनल स्टैन्डर्ड के मुताबिक़ ग्रेजुऐशन के लिए तीन साल पढ़ना ज़रूरी होता था, उसके बाद ही स्टूडेन्ट डिग्री का हक़दार होता था, लेकिन नये सिस्टम के मुताबिक़ किसी भी स्टूडेन्ट को एक साल पूरा होने पर सर्टिफिकेट, दो साल पूरा होने पर डिप्लोमा, तीन साल पूरा होने पर ''बैचलर'' और चार साल पूरे होने पर रिसर्च की डिग्री दी जायेगी।

(4) नई शिक्षा पॉलिसी में प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ सोशल साइन्सेज़ (Social Sciences) हियुमनिटीज़ (Humanities) और लिबरल आर्ट (Liberal Art) पर अधिक ध्यान दिया गया है। ताकि विद्यार्थी के अन्दर आलोच–नात्मक संरचनात्मक योग्यता (Critical and Innovative) उत्पन्न हो सके और वह शिक्षा उद्देश्य और उसकी विचारधारा को समझ सके।

(5) नई शिक्षा पॉलिसी विभिन्न उद्यमों के सम्मान (Dignity of Labour) को सम्बोधित करती है ताकि समाज के अन्दर उद्यमों की बुन्याद पर जो अन्तर है उसे मिटाया जा सके।

(6) इसी पालिसी में कुल राष्ट्रीय आय (GDP) का 6 प्रतिशत ख़र्च करने की बात कही गई है।

(7) इसी पॉलिसी के अनुसार अब हिन्दुस्तान में बाहर की यूनिवर्सिटियाँ अपना कैम्पस खोल सकती हैं।

कमियाँः–

(1) इस पॉलिसी को क़ानूनी हैसियत हासिल नहीं है, इसका मतलब यह है कि हुकूमत इसमें से जितना चाहे ले सकती है और जितना चाहे छोड़ सकती है वैसे भी सन् 2040 ई0 तक इस पॉलिसी को लागू करने की बात कही गई है जो कि एक लम्बी और थका देने वाली मुद्दत और समय है।

(2) यह पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) से कोई बहस नहीं करती, जब कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दावा किया है कि वह नई पॉलिसी द्वारा ग्लोबल सिटीज़न पैदा करेंगे, स्पष्ट है कि यह उद्देश्य बिना उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राप्त किये नहीं हो सकता, 1966 ई0 में जब कोठारी कमीशन ने पहली बार शिक्षा पॉलिसी को पेश किया था उस समय भी (GDP) जी0डी0पी0 का 6% ख़र्च करने की बात कही गई थी और अब इतने वर्षों के बाद सन् 2020 ई0 में भी वही बात दोहराई जा रही है जब कि इस सतह को और बलन्द होना चाहिए था,

लेकिन वास्तविकता यह है कि आज़ादी के 77 सालों के बाद भी जी0डी0पी0 का लगभग .5 प्रतिशत ही शिक्षा पर ख़र्च किया जा रहा है विचित्र बात यह है कि राष्ट्रीय बजट का जितना प्रतिशत UPA सरकार ख़र्च करती थी NDA की सरकार उस सतह को भी बरक़रार रखने में नाकाम रही है, अभी इसी साल के माह फ़रवरी में शिक्षा का जो बजट पेश किया गया था, वह 99300 करोड़ था, इस बजट को अगर प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक बच्चों पर विभाजित किया जाये तो एक बच्चे पर 2.35 (दो रूपये पैंतिस पैसे) का ख़र्च आता है जो कि मासिक ख़र्च के हिसाब से 71 रूपये और वार्षिक ख़र्च के हिसाब से 852 रूपये है इसी प्रकार ''हायर एजुकेशन में प्लस टू– के बाद से लेकर पी0एच0डी0 तक रोज़ाना का ख़र्च 28.69 पैसा है जो मासिक ख़र्च के हिसाब से 860 रूपये और वार्षिक ख़र्च के हिसाब से 10,328 रूपये है, जब कि इसी बजट में बच्चों की शिक्षा, स्टाफ़ का वेतन, गिरा पड़ा मरम्मत का काम और नया इन्फ्रास्टेक्चर और नये स्कूल की स्थापना सब कुछ शामिल है। ध्यान रहे कि इस समय दुन्या में बच्चों की सबसे अधिक संख्या भारत में है, और पाँच साल की उम्र से ले कर 24 साल तक के बच्चों की संख्या लगभग 50 करोड़ है, अब आप ही फैसला कीजिए कि इतने कमज़ोर बजट के साथ इतना सुन्दर सपना कैसे पूरा हो सकता है इसीलिए इस बात की अधिक आशंका है कि कहीं यह सुन्दर सपना फ़ाइल की शोभा बन कर न रह जाये।

(3) यह पॉलिसी प्राइमरी शिक्षा का मातृत्व एवं क्षेत्रीय भाषाओं में पेश करने की बात करती है, इससे उर्दू और अंग्रेज़ी भाषा को अलग रखा गया है जब कि अंग्रेज़ी भाषा के अलावा किसी भी दूसरी भाषा में आवश्यकतानुसार सेलेबस (Syllabus) मौजूद नहीं है इसलिए अंग्रेज़ी ज़बान को नज़र अन्दाज़ करना संगीन ग़लती होगी।

(4) इस पॉलिसी के अनुसार सिकेन्ड्री में विदेशी भाषाओं को सीखने का ऑपशन होगा, जिसमें कोरियन, जापानी, फ्रंच, थाई, इस्पेनिश, पुरतगीज़ जैसी ज़बानें शामिल हैं लेकिन उनमें अरबी ज़बान को शामिल नहीं किया गया है जबकि अरबी ज़बान लगभग 30 देशों में सरकारी ज़बान के तौर पर बोली और समझी जाती है। यूनाईटेड नेशन में भी व्यापारिक सम्बन्ध हैं जहां अरबी भाषा की ज़रूरत पड़ती है इसके बावजूद उसे नज़र अन्दाज करना पक्षपात के अलावा क्या है?

(5) नई पॉलिसी के अनुसार इस व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारी एजेंसियाँ बनाई जाऐंगी और इसके व्यवहारिक रचना

के लिए संगठन बनाया जायेगा, इसलिए विशेषज्ञों का विचार है कि यह **Highly regulated and Poorly funded** पॉलिसी है।

(6) यह पॉलिसी भारतीय कलचर को बढ़ावा देने की बात करती है जिसकी आड़ में पाठ्यक्रम के भगवा करण किये जाने की प्रबल सम्भावनायें हैं।

(7) इस पॉलिसी में कहीं भी **Secularism** का शब्द नहीं प्रयोग किया गया है जबकि भूतपूर्व शिक्षा पॉलिसी में यह शब्द बार बार प्रयोग किया गया था।

(8) यह पॉलिसी क्वालिटी ऑफ ऐजुकेशन **(Quality of education)** की बात नहीं करती बल्कि यह निजी करण को बढ़ावा देती है।

(9) यह पॉलिसी सब के लिए समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की बात करती है जबकि उसके लिए आवश्यकतानुसार इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और जो मौजूद है उसमें एक ओर आँगनबाड़ी के स्कूल हैं जहाँ ग़रीबों के अलावा कोई अपना बच्चा भेजना नहीं चाहता तो दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल हैं जहां अमीरों के अलावा किसी और का बच्चा एडमिशन पा नहीं सकता।

जब कि दुन्या के कुछ देश सबके लिए समान शिक्षा के अवसर पेश करने की उत्तम मिसाल पेश करते हैं, उदाहरण में "फिनलैण्ड" को ले लीजिए, वहां प्राइवेट स्कूलों का वजूद नहीं है, सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और सिकेन्ड्री तक की शिक्षा निःशुल्क पाते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि शिक्षा के स्तर के एतिबार से वह दुन्या के प्रथम श्रेणी पर फ़ाएज़ (पदासीन) है।

(10) इस पॉलिसी को बनाने में राज्यों से कोई सलाह व मशवरा नहीं लिया गया जबकि भारत "यूनियन ऑफ़ स्टेट्स है" और उसे "अमरीका" और "कनाडा" की तरह एक "फ़िड्रल सिस्टम" पर बनाया गया है। लेकिन इस मुआमले में भी केन्द्र ने राज्यों को नज़र अन्दाज़ किया है। जिससे केन्द्र की मनशा साफ़ नज़र आती है कि वह राज्यों को कमज़ोर करना चाहती है जो कि संघीय सिस्टम की स्पिरिट के विपरीत है।

शासन ने जो तालीमी पॉलिसी पेश की है उसमें बहुत सारी ख़ूबियाँ हैं बशर्ते कि शासन उन उद्देश्यों के प्राप्त करने में सन्जीदा हो और उसके लिए सालाना बजट में इज़ाफ़ा करे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे लेकिन इसमें बहुत सारी ख़ामियाँ भी हैं और कुछ ऐसे चोर दरवाज़े हैं जो हिन्दुस्तान जैसे बहुभाषी, बहु सांस्कृतिक देश और उसके सेकुलर और लोकतंत्रिक मूल्य के लिए सख़्त हानिकारक है।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः अगर लड़का अमरीका में हो और लड़की हिन्दुस्तान में, रिश्त—ए—निकाह तै हो चुका हो, किसी अहम मजबूरी की वजह से लड़का हिन्दुस्तान जल्द नहीं आ सकता हो ऐसी मजबूरी में अगर टेलीफोन पर निकाह कराया जाये तो दुरुस्त होगा या नही?

उत्तरः इस्लाम में निकाह के लिए ज़रूरी है कि इजाब व क़बूल की मज्लिस एक हो, इसलिए मोबाइल या फोन पर निकाह दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता लड़का या लड़की में से कोई एक अमरीका या हिन्दुस्तान में किसी को अपने निकाह का वकील बना दे और वकील दो गवाहों के सामने अपने मुवक्किल की तरफ़ से इजाब करे और दूसरा फरीक़ उसे क़बूल करे तो निकाह हो जाएगा, क्योंकि इस सूरत में एक ही मज्लिस में इजाब व क़बूल पाए जाने का फरीज़ा अंजाम दिया गया, जो निकाह की शर्त है, इस तरह निकाह हो जायेगा, फुक़हा ने वकालत के ज़रिये इस तरह के निकाह को दुरुस्त क़रार दिया है।

(फतावा हिन्दियाः 1/269)

प्रश्नः इण्टर नेट, वेब साइट, फैक्स, ई मेल, टेलीफोन, कॉंफ्रेंस और टेली ग्राम पर निकाह करना दुरुस्त होगा या नहीं?

उत्तरः निकाह के शर्तों में एक यह है कि इजाब व क़बूल एक ही मज्लिस में हो जैसा कि पहले सवाल के जवाब में गुज़र चुका है, इसलिए इण्टरनेट, वेबसाइट, और ईमेल वगैरा पर निकाह करने से शरअन निकाह नहीं होगा, इसके दुरुस्त होने की सूरत यही है कि किसी को इजाब व क़बूल का वकील बना दे, अल्लामा इब्ने आबदीन शामी रह0 ने निकाह की इस सूरत को जाइज़ क़रार दिया है।

(रद्दुल मुख़्तारः 3/63)

प्रश्नः निकहा के वक़्त लड़की से इजाज़त कौन ले? आमतौर पर देखा जाता है कि निकाह पढ़ाने वाले काज़ी खुद दो गवाहों के साथ लड़की के पास इजाज़त के लिए जाते हैं जब कि वहां औरतों की भीड़ होती है और काज़ी के लिए यह अमल काफी आजमाइश का होता है, क्या क़ाजी ही के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है।

उत्तरः लड़की से इजाज़त लेने के लिए क़ाज़ी का लड़की के पास जाना ज़रूरी नहीं बल्कि खुद लड़की के वालिद और उन के दो महरम रिश्तेदार साथ जाएं तो यह बेहतर है, काज़ी निकहा अगर गैर महरम हो तो उन का जाना मुनासिब नहीं है, ऐसे मौक़े पर वहां मौजूद औरतों को हट जाना चाहिए और लड़की के वली को चाहिए कि अपने दो महरम गवाहों के साथ लड़की

शेष पृष्ठ .....37....पर

एलाने जमहूरियत

—जिगर मुरादाबादी

खुदा करे कि यह दस्तूर साज़गार आये।

जो बेक़रार हैं अब तक उन्हें क़रार आये

बहार आये और इस शान की बहार आये

कि फूल ही नहीं, काँटे पे भी निखार आये

वह सर ख़ुशी हो कि खुद सर खुशी भी रक़्स करे

वह ज़िन्दगी हो कि खुद ज़िन्दगी को प्यार आये।

खिले जो फूल तो दे जिस्मे नाज़ की खुशबू।

कलीअगर कोई चटके सदाए यार आये

चमन, चमन ही नहीं जिसके गोशे गोशे में

कहीं बहार न आये, कहीं बहार आये

यह मैकदे की यह साक़ी गरी की है तौहीन।

कोई हो जाम बकफ़ कोई शर्मसार आये

मज़ाक़े इश्क़ बदल दे मिज़ाजे कौनों मकाँ

दिलों तक आये जो ग़म भी तो खुश गवार आये

–पिछले अंक से आगे.....

घरेलू मसायल

–मौलाना बुरहानुद्दीन सम्भली रह0 –अनुवादकः मौलाना मु0 जुबैर अहमद नदवी

"मुहर्रमात" यानी जिन औरतों से निकाह हमेशा हमेशा के लिए मना हैः–

शरीयत ने जिन ख़ास और करीबी रिश्तों की वजह से औरतों से हमेशा के लिये निकाह हराम कर दिया है उन्हें ''महरम'' कहा जाता है, ऐसे रिश्ते दो क़िस्म के हैं।

एक ''नसबी'', दूसरा ''ससुराली'', सारे हुक्मों की तरह इसमें भी अल्लाह तआला ने बहुत सी हिक़मतें रखी हैं जिन में से कुछ की तरफ़ हकीमुल इस्लाम, हज़रत ''शाह वलियुल्लाह'' (रह०) ने मार्गदर्शन किया है।

(हुज्जतुल्लाह पृष्ठ 318–321)

नसबी रिश्ते से आम–तौर पर वही औरतें ''महरम'' क़रार दी गयी हैं और हमेशा के लिए उन्हीं से निकाह हराम किया गया जिनके साथ ना सिर्फ़ यह कि दिनो–रात उठना–बैठना, मिलना–जुलना आदत के तौर पर या प्राकृतिक रूप से अनिवार्य होता और परदे का लेहाज़ मुश्किल होता है, बल्कि उनकी ज़रूरतें भी आपस में एक दूसरे से इस तरह जुड़ी होती हैं कि अलग–थलग रहना व्यवहारिक रूप से मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, इसलिए शरीयत ने ऐसे रिश्तों के बीच हमेशा के लिए निकाह का दरवाज़ा बंद करके हर एक को दूसरे से यौन सम्बन्ध बनाने को नामुमकिन बता कर बिलकुल ही निराश कर दिया और उम्मीद की हलकी सी किरण भी बाक़ी नहीं रहने दी क्योंकि निकाह की थोड़ी सी उम्मीद भी बाक़ी रहती तो यह मेल जोल बहुत सी नैतिक ख़राबियां पैदा करने और शर्मनाक बुराइयों में लिप्त करने का कारण बना करता, क्योंकि जब एक आध बार मर्द औरत का साथ बैठ जाना या सिर्फ़ एक दूसरे को देख लेना ही कभी कभी बड़ी बड़ी ख़राबियों और भयानक अपराध की शुरआत बन जाता है, जिस से कोई जानकार इंकार नहीं कर सकता, तो लगातार मिलना जुलना, देखना भालना कितने बड़े बड़े फ़ित्नों का कारण हुआ करता! इसका अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं, पश्चिम की अधार्मिक और ''जानवरों वाली'' ज़िन्दगी में इसका तमाशा देखा जा सकता है। शाह वलियुल्लाह साहब ने ऐसे ही ''बिना नकेल के ऊंट'' क़िस्म के लोगों के बारे में (प्रकृति और सद्बुद्धि की मांगों और उनके लेहाज़ का ज़िक्र करने के बाद) फ़रमायाः– इसके अलावा कि अगर इतने क़रीबी रिश्तों जैसेः– माँ, बहन, बेटी, पोती, भतीजी, और भांजी वग़ैरह में निकाह की इजाज़त दे दी जाती तो औरतों का भविष्य बहुत ही अँधेरा भरा होता, क्योंकि आम तौर पर बाप, भाई, चाचा, मामूं, ही अपनी बेटी, बहन, भतीजी और भांजी के लिए बेहतर से बेहतर रिश्ते तलाश करते और अच्छे से अच्छे पति के

चुनने की चिंता करते हैं, लेकिन अगर ख़ुद उन्हें अपनी ही यौन–भूख मिटाने के लिए उनसे निकाह करने की इजाज़त दे दी जाती तो यह ख़ुद ही पसंद आ जाने पर शादी रचा बैठते, चाहे औरत राज़ी होती या न होती, फिर कोई इस नाज़ुक औरत का समर्थन करने वाला और इस कमज़ोर के अधिकार दिलाने वाला भी न मिलता, क्योंकि यह काम अगर कोई करता या कर सकता है तो यही रिश्तेदार कर सकते हैं, आगे यह कि इन रिश्तेदारों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ औरत अपने विवेक और पसंद का रिश्ता हासिल करने में समर्थ भी न रहती, इस तरह उसकी पूरी ज़िन्दगी सख़्त दुःख और बेचौनी में गुज़रती और फ़र्याद भी न कर सकती, बल्कि उसके हालात अपनी ज़ुबान में यह कहा करते :–

न तड़पने की इज़ाज़त है न फ़र्याद की है
घुट के मर जाऊ ये मर्ज़ी मेरे सय्याद की है

इनके अलावा यह वजह भी है कि लगातार एक जगह रहने और उठने बैठने से ज़ियादा रुचि भी नहीं रह जाती आपसी निकाही रिश्ता क़ायम करने की, यही वजह है कि दुन्या के सारे सभ्य क्षेत्रों और समुदायों में सैकड़ों क़िस्म के मतभेदों के बावजूद अपनी माँ, बेटी से शादी करने का रिवाज नहीं है। तो क्या यह मात्र संयोगवश है? ऐसा कोई समझदार व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। इसी तरफ़ शाह वलियुल्लाह (रह०) ने इन शब्दों में ध्यान आकर्षित किया है।

ससुराली रिश्ताः–

ससुराली रिश्ते से हमेशा के लिए हराम हो जाने वाली औरतें सिर्फ़ चार हैं। सास, बहू, (सगे बेटे की बीवी), बीवी की लड़की और सौतेली माँ, अगर इनमें से किसी से यौन सम्बन्ध क़ायम करने की और निकाह करने की संभावना होती तो इसका पूरा ख़तरा था, इसी तरफ़ शाह वलियुल्लाह (रह०) ने इन शब्दों में ध्यान आकर्षित किया है :– "हर समय के मेल जोल की वजह से कि वास्तविक रूप से जिस से निकाह हुआ है वह टूट जाए और उसके बजाए साथ रहने–सहने वालों में से किसी से सम्बन्ध पैदा हो जाएं और उसकी ओर स्वाभाविक झुकाव हो जाए, क्योंकि अक्सर यही कारण मियां–बीवी के सम्बन्ध को कमज़ोर करने और अंततः तोड़ने का कारण होते हैं, इसी वजह से शरीयत हर ऐसे मर्द व औरत के बीच सम्बन्ध बढ़ाना मना और पर्दा करना ज़रूरी क़रार दिया जिनका आपस में निकाह हो सकता है।"

रज़ाअ़त (स्तनपान):–

हमेशा के लिए निकाह हराम होने का कारण बनने वाली एक तीसरी चीज़ रजाअत (दूध पिलाना) है, बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत चाहे कोई पारिवारिक सम्बन्ध न रखती हो, अपना दूध पिलाने की वजह से (जबकि दूध पिलाने की अवधि दो साल की उम्र के अंदर पिलाया हो) वह माँ की तरह हो जाती है, अतः शरीयत ने उसे निकाह के बारे में माँ की तरह का

हुक्म दिया है, यानी जिस तरह नसबी माँ, उसके पति और औलाद (यानी बाप और भाई बहन) से निकाह नहीं हो सकता बिलकुल इसी तरह दूध पिलाने वाली माँ और उसके इन रिश्तेदारों से भी शादी नहीं हो सकती।

"मुहर्रमात" की इन तीनों क़िस्मों के अलावा कुछ और औरतें वे भी हैं जिनसे निकाह हमेशा के लिए तो नहीं, हाँ वक़्ती तौर पर मना हो जाता है, जैसे जिस औरत का किसी भी व्यक्ति से निकाह हो चुका हो, अब उस वक़्त तक उसका किसी दूसरे से निकाह नहीं हो सकता जब तक पहला निकाह या उसका असर (इद्दत) बाक़ी है, क्यों कि दूसरे से निकाह की इजाज़त देने का मतलब होगा "औरत में साझीदारी" जो इंसानी मिज़ाज और प्राकृतिक आवश्यकता के बिलकुल विरुद्ध है। विवरण आगे आ रहा है।

इसके अलावा दो बहनों, इसी तरह दो बहुत ही क़रीबी रिश्ता, महरम वाला रिश्ता, रखने वाली औरतों का एक समय में किसी एक ही व्यक्ति के निकाह में रहना मना है, क्योंकि आमतौर पर सौतनें आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं और हर एक दूसरे की विरोधी बल्कि दुश्मन बन जाती हैं, और शरीयत ने सगे सम्बन्धियों के साथ सम्बन्ध जोड़ने और उनसे अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया है, इसलिए ऐसी दो रिश्तेदार औरतों का एक व्यक्ति के निकाह में रहना शरीयत की रूह और उसकी शिक्षाओं व निर्देशों के सरासर विरुद्ध होता।

हराम होने के इन कारणों के अलावा काफ़िर व मुशरिक (अहले किताब की औरतों के अलावा) होना भी एक कारण है, यानी किसी मर्द का निकाह (अहले किताब की औरत को छोड़ कर) मुशरिक या काफ़िर औरत से नहीं हो सकता, और मुसलमान औरत का निकाह किसी भी ग़ैर मुस्लिम से नहीं हो सकता (चाहे वह अहले किताब में से ही क्यों न हो) इसका विवरण और मस्लेहत "कुफ़्व" के अध्याय में बयान हो चुका है।

पैग़ाम देने का पसंदीदा तरीकाः–

औरत की इज़्ज़त, प्राकृतिक शर्म और लैंगिक कोमलता की असल मांग यह है कि शादी का प्रपोज़ल औरत की या उसके अभिभावकों की तरफ़ से न हो बल्कि मर्द की तरफ़ से हो ताकि वह मांगने वाला और प्रपोज़ करने वाला बने और औरत अपेक्षित हो, इसलिए मुनासिब यह है कि पैग़ाम मर्द की तरफ़ से जाए और वह भी सीधा औरत के पास नहीं, बल्कि उसके अभीभावकों के पास जाए, (अगर अभिभावक ज़िंदा हों तो) और यह अभिभावक थोड़ी उदासीनता और आत्मसम्मान का प्रदर्शन करें, नबी–ए–अकरम (स०) ने सबसे अच्छे पैगम्बर और इंसानों के सरदार होने के बावजूद कई एक बीवियों जैसे हज़रत आयशा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा रज़ि0 वग़ैरा को ख़ुद ही पैग़ाम भेजा था, मगर कुछ विशेष अवसरों और ज़रूरतों पर औरत, या उसके अभिभावकों की तरफ़ से भी पैग़ाम भेजा जा सकता है, इसकी मिसालें भी हदीसों में

मिलती हैं बल्कि हदीस के मशहूर माहिर, इमाम बुखारी (रह०) ने अपनी विश्व प्रसिद्ध किताब ''सहीह़ बुख़ारी'' में बाबू अर्ज़िल इंसानि इब्नतहु व उख़तहु अला अहलिल ख़ैर'' का शीर्षक यही बताने के लिए लगाया है कि नेक और तक़्वे वाले मर्द को औरत या उसके अभिभावकों की तरफ़ से भी पैग़ाम दिया जा सकता है और इसके अंतर्गत हज़रत उमर रज़ि0 का यह वाक़िया लिखा कि जब उनकी बेटी हज़रत ''हफ़्सा'' विधवा हो गयीं और उनके निकाह की चिंता हुई तो पहले उन्हीं ने ख़ुद से हज़रत उस्मान से शादी का प्रस्ताव रखा, हज़रत उस्मान ने कुछ दिनों के बाद माफ़ी माँग ली, फिर हज़रत अबू बक्र से कहा कि अगर आप पसंद करें तो हफ़्सा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, वह भी ख़ामोश रहे क्योंकि उनको ख़बर मिल चुकी थी कि हुजूर (स०) उनसे निकाह करना चाहते हैं। इस शीर्षक और वाक़िया से मालूम हुआ कि बेहतर और मुनासिब अवसर के लिए औरत या उस के अभिभावक ख़ुद वह प्रस्ताव रख सकते हैं और पैग़ाम दे सकते हैं, यद्यपि ज़माने में औरत की तरफ़ से पैग़ाम देना हया के ख़िलाफ समझा जाता था, अतः हज़रत आयशा (रज़ि०) ने यह सुन कर कि एक औरत ने हुजूर (स०) से निकाह की इच्छा व्यक्त की है फ़रमाया था ''क्या औरत अपने आप को किसी मर्द के सामने पेश करते हुए शर्माएगी नहीं। "

(बुख़ारी जिल्द 2, पृष्ठ 766)

पैग़ाम देने के बारे में एक ज़रूरी निर्देशः–

रसूलुल्लाह (स०) ने इस बारे में एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है की अगर लड़की का रिश्ता कहीं तय हो चुका हो यानी मंगनी हो चुकी हो या किसी पैगाम से उसके अभिभावक संतुष्ट हो चुके हों तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पैगाम देना मना है, क्योंकि इस से पहले व्यक्ति का ना सिर्फ दिल टूटेगा बल्कि वह इसे अपने अधिकार में हस्तक्षेप समझेगा, जिस के फलस्वरूप दुश्मनी और शत्रुता पैदा हो सकती है, और नुकसान पहुँच सकता है, हदीस में है ''कोई व्यक्ति निकाह का पैग़ाम ऐसी औरत को ना दे जिसे उसके किसी दीनी भाई ने पहले से पैग़ाम दे रखा हो, जब तक वह ख़ुद ही छोड़ ना दे''।

(बुख़ारी,जिल्द 2, पृष्ठ 772)

इस के अलावा तलाक याफ़्ता औरत को भी इद्दत की हालत में पैग़ाम नहीं देना चाहिए इसी तरह जिसका पति मर चुका हो, और अभी इद्दत पूरी ना हुई हो, और उससे निकाह की बात तय कर लेना, कुरआन की आयत (सूरा–ए–बकरा आयत 235) से मना है। हाँ इशारों–इशारों में अपने इरादे का इज़्हार किया जा सकता है। पैग़ाम देने के लिए शरीयत की तरफ़ से कोई रस्म या कोई ख़ास तरीक़ा निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि ख़ैरुलकुरून के वाक़ियों से पता चलता है कि सीधे अभिभावकों से (या ख़ुद उसी व्यक्ति से) बात करके अपने इरादे और चाहत का इज़्हार करना ही पैग़ाम के लिए काफ़ी है।

❖❖❖

26 जनवरी, गणतंत्र दिवस

—गुफ़रान नदवी

आज़ाद भारत में दो तारीख़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक 15 अगस्त दूसरी 26 जनवरी, एक को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं तो दूसरे को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।

15 अगस्त 1947 ई0 को हमारा देश एक लम्बे संघर्ष के बाद ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुआ, परन्तु हमारे पास हमारा भारतीय संविधान नहीं था, आज़ादी के बाद कुछ दिनों तक अन्तिम वायसराय लार्ड माउन्टविटन ने गवर्नर जनरल की हैसियत से काम किया उसके फ़ौरन बाद राजगोपाल आचार्य गवर्नर जनरल नियुक्त हुए, जो संविधान के लागू होने तक अपने पद पर रहे।

भारत वर्ष एक विशाल देश है जहां विभिन्न धर्मों के अनुयायी और विभिन्न संस्कृतियों के संरक्षक हैं। हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैन बुद्ध आदि इस सूरते हाल के पेश नज़र ऐसे संविधान की ज़रूरत थी जिसकी छाया में सारे धर्म वाले और सारी जाति वाले अपने धार्मिक सिद्धान्तों और अपने रीति रिवाज के अनुकूल आपसी एकता और भाई चारे के साथ और पूरी स्वतंत्रता के साथ सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें चुनांचि देश के योग्य और आला दिमाग़ के लोगों ने संविधान की रचना और निर्माण के लिए एक समिति का संगठन किया जिसके अध्यक्ष डॉ0 भीम राव आम्बेडकर नियुक्त हुऐ, उनकी संरक्षता और नेतृत्व में संविधान की ड्राफ्टिंग हुई, संविधान की तैयारी में जो समय लगा वह दो साल ग्यारह माह अट्ठारह दिन, संविधान की तैयारी में समय के अलावा जो ख़र्च आया वह ₹63,96,729/— है।

भारतीय संविधान की स्प्रिट तीन बिदुओं पर आधारित है—

1. स्वतंत्रता
2. समान्ता
3. बंधुत्व

भारतीय संविधान अगरचे 26 जनवरी से पहले तैयार हो गया था परन्तु पूरे देश वासियों पर इसको लागू करने की जो तारीख़ निश्चित की गई वह 26 जनवरी 1950 की तारीख़ थी। इसकी एक ऐतिहासिक भूमिका है, वह भूमिका यह है कि 26 जनवरी, 1930 ई0 को कांग्रेस पार्टी ने रावी नदी के किनारे तिरंगा झण्डा लहरा कर स्वराज दिवस मनाया था। गणतंत्र दिवस के लिए यह बहुत ही उचित और ऐतिहासिक तारीख़ है।

निःसंदेह भारत वर्ष का संविधान भारत वासियों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए परिपूर्ण है, बशर्ते कि

उसकी धाराओं और नुच्छेदों पर ईमानदारी के साथ अमल किया जाये।

यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि भारतीय संविधान धर्म और जाति को सामने रख कर नहीं बनाया गया, बल्कि मानवीय अधिकारों को सामने रख कर बनाया गया है।

आज देश की जो सूरते हाल है वह हर उस व्यक्ति के लिए फ़िक्र और परेशानी की बात है जो देश और देशवासियों के लिए सहानुभूति रखता है, हमारी निगाहें संविधान की उस आधारशिला पर नहीं है जहाँ पर संविधान की तीन विशेषतायें बताई गई हैं—

स्वतंत्रता समानता और बन्धुत्व, यही वह चीज़ें हैं जो विभिन्न धर्म वालों और विभिन्न जाति वालों को एक सूत्र में बाँधती हैं, यदि संविधान का उचित रूप से पालन किया जाये तो हम अनेकता को ऐकता के सुन्दर रूप में पायें, हमारे देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष से अधिक हो गये। हमने ब्रिटिश साम्राज्य को देश से बाहर किया था और यह संकल्प किया था कि अपने देश को भारतीय संविधान के अनुसार चलायेंगे, इसी बात पर हमारे राज नेता शपथ लेते हैं, लेकिन उन का व्यवहार और उनकी नीतियाँ इसके विरुद्ध हो जाती हैं। अंग्रेज़ों ने Divide and Rule फूट डालो और राज करो का सिद्धान्त बनाया था आज हमारे राजनेताओं ने उसी सिद्धान्त को अपना लिया है, वह यह भूल जाते हैं कि हमने संविधान का पालन करने के लिए शपथ ली है, हम अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं।

राष्ट्र की दृढ़ता और उन्नति का रहस्य देश की एकता में निर्भर है, यह उसी सूरत में संभव है जब देश के राजा और प्रजा सभी लोग संविधान का पालन करें।

हमारा देश एक चमन और फुलवारी के समान है जिसकी शोभा नाना प्रकार के फूलों से है, जो लोग इसकी शोभा को पसन्द नहीं करते वह इसको जंगल बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग देश और मानवता के हितैषी नहीं हो सकते।

❖❖❖

कोरोना से बचाव

परस्पर दूरी बहुत ज़रूरी
मास्क लगाओ नहीं भुलाओ
सुविधा होते मेरे भाई
हाथों की तुम करो धुलाई
सम्मुख वाली अधिक हो दूरी
आगे पीछे कुछ कम दूरी
दायें बायें उचित हो दूरी
अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी
कोरोना से रब सब को बचाए
कोरोना जाए कभी न आए

❖❖❖

मुर्दों को इबादत का सवाब बख़्शना

—हज़रत मौलाना मु0 अब्दुश्शकूर फ़ारूक़ी रह0 —हिन्दी लिपिः फौज़िया सिद्दीक़ा

अहले सुन्नत का इस मसले पर इत्तेफ़ाक़ है कि अगर कोई शख़्स अपने आमाल व इबादात का सवाब ख़्वाह माली हो जैसे सद्क़ा वग़ैरह या बदनी जैसे नमाज़ रोज़ा कुर्आन मजीद की तिलावत वग़ैरह किसी दूसरे को दे दे तो हक़ जल्लेशानहू महेज़ अपने फ़ज़्ल से उन इबादात को सवाब उस को पहुँचा देता है, हाँ इस में इख़्तिलाफ़ है कि फ़राइज़ का सवाब भी दूसरे को पहुँचाया जा सकता है, या सिर्फ नवाफ़िल का, और इस में भी इख़्तिलाफ़ है कि ज़िन्दों को भी यह सवाब पहुँच सकता है या सिर्फ़ मुर्दों को।

फ़ाइदाः–

कुर्आन मजीद की तिलावत का सवाब पहुँचाने को उर्फ़ में फ़ातिहा कहते हैं।

बवक़्त इबादत ही ईसाले सवाब की नीयत शर्त नहीं हैः–

सहीह यह है कि जिस वक़्त जो इबादत की जाए उसके साथ ही दूसरे को उस का सवाब देने की नीयत शर्त नहीं हत्ता कि अगर बाद में उस इबादत का सवाब किसी दूसरे को देने की नीयत कर ली जाए तब भी जाइज़ है और उस का सवाब दूसरे को पहुँच जाएगा।

इबादत के ज़रिये ईसाले सवाब से खुद महरूमे सवाब नहीं होताः–

अगर कोई शख़्स किसी एक इबादत का सवाब दूसरे शख़्स को दे दे तो यह नहीं होता कि उस इबादत का सवाब उसके करने वाले को बिल्कुल ना मिले बल्कि उस इबादत का सवाब उसको भी मिलता है और जिस को दिया गया उस को भी यह महेज़ फज़्ले इलाही है। इसी वजह से उलमा ने लिखा है कि जब कोई शख़्स किसी नफ़्ल इबादत को करे तो उसको चाहिए कि उस का सवाब मोमिनीन की रूह को पहुँचा दे ताकि उसको भी सवाब मिले और उन लोगों को भी बल्कि इस सूरत में मोमिनीन की नफ़ा रसानी के सबब से दोहरे सवाब की उम्मीद है।

एक ही इबादत का सवाब कई मुर्दों को बख़्शने पर सब को पूरा सवाब मिलेगाः–

अगर कोई शख़्स किसी एक इबादत का सवाब कई मुर्दों की रूहों को पहुँचाए तो वह सवाब तक़्सीम हो कर उन मुर्दों को नहीं दिया जाता बल्कि हर शख़्स को पूरा पूरा सवाब जो उस इबादत का मुक़र्रर है इनायत होता है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रूह मुक़द्दस को ईसाले सवाबः–

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जनाब मुक़द्दस में भी इबादत का सवाब भेजना मशरुअ़ है हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़े आज़म रज़ि0 के साहबज़ादे

हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि0 ने आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद कई उमरे किये और उन का सवाब अपनी तरफ़ से आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुक़द्दस रूह को पहुँचाया। और भी बाज़ सहाबा रज़ि0 अपनी इबादतों का सवाब उस बारगाहे नूरानी में हद्या किया करते थे उलमा–ए–उम्मत ने भी इस सआ़दते उ़ज़मा से बहर–ए–वाफ़िर हासिल किया है। अल्लामा इब्ने सिराज रह0 ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ से दस हज़ार से ज़ियादा क़ुर्आन मजीद ख़त्म किए और इसी क़द्र क़ुर्बानियां कीं।

हज़रात सूफ़िया के यहां एक नमाज़ राएज़ है जो ज़ुह्र मग़रिब, इशा के बाद दो रकअ़त पढ़ी जाती है और उस का सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रूह मुक़द्दस को पहुँचाया जाता है।

उस नमाज़ को हदय––तुर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं इस नमाज़ को बाज़ नावाक़िफ़ मसनून समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है मगर चूंकि आंहज़रत सल्ल0 की रूह मुक़द्दस को ईसाले सवाल किया जाता है, इसलिए उसको पढ़ना मोजिबे सवाब ज़रूर है।

ईसाले सवाब की अ़दम मशरूइयत का ख़्याल फ़ासिद हैः–

लिहाज़ा बाज़ उलमा का ख़्याल है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुकद्दस रूह को ईसाले सवाब मशरूअ़ नहीं महेज़ फ़ासिद है।

उलमा ने लिखा है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रूह मुकद्दस को ईसाल सवाब मुस्तहब है इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुकूक़ जो उम्मत पर हैं बे हद व बे हिसाब हैं जो जो एहसानात आपने किये उन का शुमार नहीं हो सकता यह एहसान क्या कम है कि ज़लालत के गढ़े से निकाल कर शाह राहे हिदायत पर चलना आप ही की बदौलत नसीब हुआ और कुफ़्र की रूह फ़रसा तारीकियों से नजात पा कर इस्लाम की दिलरुबा रौशनी आप ही के फ़ज़्ल से मिली, इन एहसानात के मुक़ाबले में अगर हम से कुछ न हो सके तो इसी क़द्र सही कि कभी कभी अगर कुछ इबादत हो सके तो उस का सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रूह शरीफ़ को पहुँचा दे, बहुत बदनसीब है जिसको तमाम उम्र में एक दिन भी यह सआ़दत न नसीब हुई हो।

ईसाले सवाब का तरीक़ाः–

ईसाले सवाब का तरीक़ा यह है कि जिस इबादत का सवाब पहुँचाना मन्ज़ूर हो उस इबादत से फ़राग़त कर के अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करे कि ऐ अल्लाह इस इबादत का सवाब फ़ुलां शख़्स की रूह को पहुँचा दे।

मिसालः–

क़ुर्आन मजीद की सूरतें या और कोई ज़िक्र या तस्बीह़ वग़ैरा पढ़ कर या नफ़्ल नमाज़

शेष पृष्ठ .....40....पर

कर्ज और एहसान

—मौलाना नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

बाज़ार का रुख किये दो लोगों में से एक ने राह चल रहे एक व्यक्ति को आवाज़ दी, अरे भाई! इधर तो आओ। साथी ने पूछा, किसे बुला रहे हैं? दूसरे साथी ने कहा, अरे वही जो हमारी ओर आ रहा था। तुमने देखा नहीं कि जब उस व्यक्ति ने हमें देखा तो पलट गया और रास्ता बदल कर गली में जाने लगा। पहले साथी ने कहा, हाँ!—हाँ! देखा तो मैंने भी, लेकिन हमें इससे क्या? राह में तो सैकड़ों लोग आते—जाते रहते हैं। दूसरे साथी ने कहा, भाई! भले ही तुमसे कोई मतलब न हो मगर मुझे मतलब है।

वह व्यक्ति जिसने रास्ता बदल लिया था, बोझल क़दमों से उन दोनों के पास आया। दूसरे साथी जिन्हें इमामे आज़म अबू हनीफा रह0 के नाम से जाना जाता है, ने आने वाले आदमी से पूछा, भाई! मुझे देख कर तुमने रास्ता क्यों बदल लिया? अफसोस कि मुलाकात करने वालों में से हो, फिर भी मुलाकात से घबरा गये।

उस आदमी ने कहा, हज़रत! आपको सलाम करने के लिए आगे न बढ़ सका इसके लिए शर्मिन्दा हूँ, लेकिन हज़रत मैं क्या करता, मेरे क़दम खुद ही गली की ओर उठ गए। आप दिल पर मत लें, मैं सेवक हूं और जल्द ही आपके दस हज़ार दिरहम जो मैंने उधार लिये हैं, चुका दूँगा।

अब जा कर इमाम अबू हनीफा के पहले साथी जिन्हें शफीक़ बल्ख़ी के नाम से याद किया जाता है को माजरा समझ में आया कि मामला कर्ज़ का है और कर्ज चुका न पाने के कारण वह इमाम साहब से छुप रहा है।

कर्ज़ भी बड़ी अजीब चीज़ है, किसी से ले लो और समय पर न चुका सको तो चोरों जैसी स्थिति बहुतों की हो जाती है कि वह बेचारा छिपा—छिपा और भागा—भागा फिरता है। कर्ज भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो रोज़ी—रोटी से जुड़ा होता है, दूसरा जो झूठी शान के लिए लिया जाता है, जैसे इस्लाम सादगी से शादी की ताकीद करता है लेकिन लोग झूठी शान दिखाने के चक्कर में कर्ज में डूब जाते हैं और ज़िन्दगी भर कर्ज चुका रहे होते हैं। कईयों के बारे में सुना गया है कि बिरादरी में नाक ऊँची करने के लिए कर्ज़ तो लिया और कर्ज चुकाते चुकाते मर गये यहाँ तक कि विरासत में कर्ज़ का बोझ दे गए।

हाँ! कर्ज़ जायज़ मक़सद के लिए मज़बूरी में लिया जाता है तो जायज़ है और अल्लाह उसकी मदद करता है, लेकिन कर्ज़दार की नीयत लौटाने की ज़रूर होनी चाहिए, हड़प लेने की नहीं। इस्लाम कर्ज़ के मामले में बहुत ही संवेदनशील है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो कर्ज़दार व्यक्ति की जनाज़े की नमाज़ ही नही पढ़ाते थे जब तक उसका कर्ज़ अदा न कर दिया जाय।

ख़ैर! शफ़ीक़ बल्खी ने सोचा कि ये भी खूब हाथ

आया, अब इमाम साहब तक़ाज़ा करेंगे और कर्ज़ ले कर रास्ता बदलने पर डांटेंगे, लेकिन ये क्या यहां तो किस्सा ही उल्टा हुआ।

इमाम साहब उस कर्ज़दार से कह रहे थे कि भाई! बुरा हो उस कर्ज़ के बोझ का, जिसके कारण तुम्हें शर्मिन्दगी हुई, तुम्हें इस कारण मुँह नहीं छुपाना चाहिए। जो रक़म मैं ने तुम्हें दी थी वह कर्ज़ नहीं बल्कि उपहार स्वरूप थी, भाई! मुझे मॉफ करना कि मेरी वजह से शर्मिन्दगी उठानी पड़ी।

अन्तिम सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है कि किसी को कर्ज़ दो तो उसके साथ नर्मी का बर्ताव करो बल्कि हो सके तो उसका कर्ज़ मॉफ कर दो।

अब आइये इस दौर में आज यदि कोई किसी को कर्ज़ देता है तो उससे गुलामी की उम्मीद पाल लेता है। हालांकि इस्लाम और इन्सानियत का तक़ाज़ा यही है कि जब किसी को कर्ज़ दिया जाए तो तक़ाज़े में नर्मी बरती जाए, बल्कि हो सके तो मॉफ कर दिया जाये।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर .....

से इजाज़त के लिए जाएं और हर हाल में बे परदगी से बचा जाए परदा के अहकाम शरीअत में बहुत सख़्त हैं, उनका लिहाज़ ज़रूरी है।

प्रश्नः शादी से पहले होने वाली बीवी को लड़का देख सकता है या नहीं? अगर देखने की इजाज़त है तो किस हद तक?

उत्तरः शरीअते इस्लामी में निकाह से पहले पैगाम देने वाले लड़के को इजाज़त है कि अगर चाहे तो होने वाली ज़ौजा को देख ले, अबू दाऊद की रिवायत है कि, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक सहाबी से फरमाया ''जब तुम किसी औरत को निकाह का पैगाम दो तो अगर यह मुमकिन हो कि उसके वह औसाफ़ देख सको जो निकाह में मतलूब हैं तो ज़रूर ऐसा करो''।

(अबू दाऊदः 1/284)

अब रही यह बात कि जिस्म के किन हिस्सों को देखा जा सकता है तो इस बारे में जम्हूर फुक़्हा की राय है कि सिर्फ चेहरे और हथेलियों को देखना जाइज़ है बक़िया हिस्सा नहीं।

(हिदायाः 2/459)

अल्लामा इब्ने हजर लिखते हैं ''जम्हूर उलमा कहते हैं कि मंगेतर को देखने में कोई हर्ज नहीं मगर चेहरा और हथेलियों के अलावा कुछ और न देखे।

(फतहुल बारीः 1/157)

प्रश्नः निकाह पढ़ाना लड़के वाले का हक़ है या लड़की वाले का? अगर लड़की वाले कहें कि हमारे क़ाज़ी निकाह पढ़ाएंगे और लड़के वाले कहें कि मेरे क़ाज़ी निकाह पढ़ाएंगे तो इस सूरत में तरजीह किस को दी जायेगी?

उत्तरः क़ाज़ी–ए–निकाह लड़की का वकील होता है, लड़की और लड़की वालों ही को इख़्तियार है कि जिसे चाहें निकाह का वकील मुनतख़ब करें, इख़्तिलाफ़ की सूरत में लड़की के क़ाज़ी को तरजीह हासिल होगी।

(निज़ामुल फतावाः 3/68)

❖❖❖

लाभदायक और बहुमूल्य उपदेश

है काम के वक़्त काम अच्छा - और खेल के वक़्त खेल ज़ेबा
जब काम का वक़्त हो, करो काम - भूले से भी खेल का न लो नाम
हाँ खेल के वक़्त ख़ूब खेलो - कूदो, फाँदो कि डण्ड पेलो
ख़ुश रहने का है यही तरीक़ा - हर बात में चाहिए सलीक़ा
हिम्मत को न हारो ख़ुदारा - मत ढूँढयो ग़ैर का सहारा
अपने बूते पे काम करना - मुशकिल हो तो चाहिये न डरना
जो कुछ हो, सो अपने दम क़दम से - क्या काम है ग़ैर के करम से
छोड़ो नहीं काम को अधूरा - बेकार है जो हुआ न पूरा
एक वक़्त में सिर्फ़ एक ही काम - पा सकता है बेहतरी से अंजाम
जब काम में काम और छेड़ा - दोनो ही में पड़ गया बखेड़ा
जो वक़्त गुज़र गया अकारत - अफ़सोस हुआ ख़ज़ाना ग़ारत

है काम के वक़्त काम अच्छा
और खेल के वक़्त खेल ज़ेबा

(मोलवी इस्माईल मेरठी)

ज़ेबा =शोभा, सलीक़ा=योग्यता, करम=दया।

विनय तथा उपचार

—हिन्दी इम्लाः राशिदा नूरी

विनय उस ज़ात से जिसने यह विचित्र परिष्ठ रची, जिसने धरती बनायी, आकाश को जगमगाया, धरती पर जंगलात उगाए भाँति–भाँति के वृक्ष पैदा किये धरती पर ऊँचे पहाड़ जमाए पहाड़ों से गंगा जमुना जैसी हज़ारों नदियाँ बहाईं धरती पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पैदा किये उस पर मनुष्य को जन्म दे कर सबका हाकिम बनाया सब कुछ मनुष्य की सेवा के लिए बनाया तथा मनुष्य को अपनी उपासना के लिए बनाया उसी को हम अल्लाह कहते हैं वह जो चाहे कर सकता है उसी से विनय करते हैं कि हे ईश्वर हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा कर दे और कोरोना के प्रकोप से हमको छुटकारा दे हमारे जो वैज्ञानिक तथा शोध कर्ता कोरोना की औषधि ढूँढ रहे हैं कोरोना को समाप्त करने के लिए टीका खोज रहे हैं अल्लाह उनको कोरोना की औषधि सुझा दे, कोरोना के टीके को बता दे ताकि हम उस औषधि तथा टीके से कोरोना का उपचार कर सकें जब तक कोरोना का टीका या औषधि मार्केट में न आ जाए हम सरकार के किये हुए प्रबन्ध में कोरोना का उपचार कराएं साथ ही बचाव से अचेत हों एक दूसरे से उचित दूरी रखें एक दूसरे से हाथ न मिलाएं गले न मिलें ऐसा न हो कि किसी में कोरोना के कीटांणू मौजूद हों, एक से दूसरे को लग जाए, बाहर निकलें तो मास्क अवश्य पहनें।

कोरोना से जो हालत पहुंची है उसकी भरपाई सरल नहीं है कोरोना ने लोगों को काहिल बना दिया है अधिकांश लोग सो कर समय बिताते हैं सारे रोज़गार ठप हो गये शिक्षा का तो इतना बड़ा नुक़सान हुआ है कि उसकी कल्पना कठिन है मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने वालों विज्ञान पढ़ने वालों की हानि को पूरा करना बहुत कठिन है। छोटे–छोटे बच्चे तीन चार साल के बच्चे जो अपनी मात्र भाषा के शब्दों तथा वाक्यों को फर–फर पढ़ते लिखते थे सब भूल गये, गिनती पहाड़ा पढ़ते थे सब भूल गये उनके इस क्षति की पूर्ति कैसे होगी समझ में नहीं आता। हमारे प्रधानमंत्री हर तरह से समझाते हैं कि कोई चिन्ता न करो सब ठीक हो जाएगा परन्तु उनके समझाने से वास्तविकता नहीं बदल सकती।

ऐसा लगता है कि कोरोना से कोई बच न सकेगा, अलबत्ता ये प्रसन्नता की बात है कि लोग इलाज से ठीक हो जाते हैं। अल्लाह तआ़ला हम सबको कोरोना से सुरक्षित रखे।

निःसंदेह भारत सरकार ने जिस तरह कोरोना का

मुकाबला किया शायद दूसरी सरकारें न कर पातीं, भारत सरकार ने अस्सी करोड़ निर्धनों को नौ महीने तक मुफ़्त राशन दिया इसको दूसरी सरकारें सोच भी न पातीं, भारत सरकार ने छोटे किसानों और मजदूरों आदि को लगातार एक हाथों में नक़द पैसे भेजे यह मामूली काम न था, परन्तु कोरोना तथा लॉक डाउन से जो व्यापक क्षति हुई है उसकी पूर्ति कब और कैसे होगी इसको तो आने वाला समय ही बताएगा।

❖❖❖

मुर्दों को इबादत का .....

पढ़ कर या किसी मोहताज को खाना खिला कर या कुछ दे कर या रोज़ा रख कर या हज़ कर के ह़क़ तआ़ला से सवाब पहुँचाने की दुआ करे।

खाने वग़ैरा पे फ़ातिह़ा ख़्वानी का हुक़्मः–

हमारे अतराफ़ में जो यह तरीक़ा राएज़ है कि खाना या शीरीनी वग़ैरा आगे रख कर कुर्आन मजीद की सूरतें पढ़ते हैं और उस को एक ज़रूरी अम्र ख़्याल करते हैं। हत्ता कि अगर कोई शख़्स इसके ख़िलाफ़ करे, यानी बग़ैर उसके कि खाना आगे रखा जाए कुर्आन मजीद की सूरतें पढ़ कर उस का सवाब मय्यत को पहुंचा दे तो उस पर सख़्त इनकार किया जा सकता है अवाम के ख़्याल में यह बात जम गई है कि जब तक यह ख़ास सूरत न की जाए मय्यत को सवाब न पहुँचेगा। हालांकि यह एक सख़्त बिदअ़त है। खाना अगर किसी को खिलाया जाये तो उस का सवाब अ़लाहिदा मय्यत को पहुंचेगा। कुर्आन मजीद की सूरतें पढ़ कर बख़्शी जाएंगी तो उस का सवाब अलाहिदा पहुंचेगा इन दोनों को एक दूसरे पर मौकूफ़ समझना निहायत जिहालत है। अवाम के इस ख़्याल का सबब जहां तक मैं ग़ौर करता हूं शायद यह हुआ हो कि किसी बुज़ुर्ग ने मय्यत के ईसाले सवाब के लिए चाहा होगा कि इबादते बदनी इबादते माली दोनों का सवाब उस को पहुँचाया जाए। लिहाज़ा उन्होंने कुर्आन मजीद की तिलावत भी की होगी और खाना भी किसी मोहताज को खिलाया होगा, और यह दोनों इबादतें किसी इत्तिफ़ाक़ से एक ही मजलिस में हुई होंगी। इस हालते इज्तिमाई को देख कर बाज़ नावाक़िफ़ समझते होंगे कि खाने को आगे रख कर पढ़ना एक ज़रूरी अम्र है। यह रसम सिवाए हिन्दोस्तान के और किसी मुल्क में नहीं होती।

❖❖❖

क़दम सूए मरक़द, नज़र सूए दून्या
किधर जा रहा है, किधर देखता है।

यात्रा शमसान की, चिन्ता तुझे संसार की
मेरे प्यारे कर तू चिन्ता, मृत्यु के उस पार की
जा रहा शमसान को, तक रहा संसार को
जा रहा किस ओर को, और तक रहा किस ओर को

नदवतुल उलमा
पोस्ट बाक्स न0 93, टैगोर मार्ग,
लखनऊ -226007 (भारत)

ندوۃ العلماء
پوسٹ بکس ۹۳ - ٹیگور مارگ
لکھنؤ - ۲۲۶۰۰۷ (الہند)

दिनांक 25.04.2020 تاریخ

अहले खैर हज़रात से!

अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि हज़रत मौलाना सैय्यद मो0 राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में दारुल उलूम नदवतुल उलमा अपनी इल्मी व दीनी तालीमी व तरबियती ख़िदमत अंज़ाम दे रहा है, और उन बहुमूल्य सिद्धान्तों एवं नियमों को सीने से लगाये हुए है जिनके लिए नदवतुल उलमा को स्थापित किया गया था, यानी नये ज़माने में इस्लाम की मुअस्सिर और सही तर्जुमानी, दीन व दुन्या की व्यापकता और इल्म व रुहानियत के एकता की कोशिश, फितन–ए–लादीनियत और ज़ेहनी इरतिदाद का मुकाबला, इस्लाम पर एतिमाद और उलूमेइस्लामिया की बरतरी व इम्तियाज़ का ऐलान व इज़हार, दीने हक से वफादारी और शरीअत पर इस्तिक़ामत।

आपसे हमारी अपील है कि वक़्त की इस ज़रूरत और दारुल उलूम नदवतुल उलमा की इफ़ादियत को समझते हुए पूरी फराख़दिली, फ़य्याज़ी और हिम्मत से काम ले कर इन तमाम कामों में भरपूर तआउन व मदद फरमायें कि हिन्दुस्तान में दीन के किलों की हिफ़ाज़त का इससे बेहतर रास्ता और इससे ज़ियादा पायदार कोई सदक़–ए–जारिया नहीं।

जैसा कि आप को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के मौक़े पर दारुल उलूम नदवतुल उलमा के असातिज़ा, सुफ़रा व मुहस्सिलीन आप हज़ारात की ख़िदमत में हाज़िर हो कर सद्क़ात व जक़ात व चन्दे की वसूलयाबी का काम अंजाम देत हैं लेकिन इस वक़्त पूरे मुल्क में क्रोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, ऐसे हालात में सफ़र करना ना मुम्किन है इसलिए आप के चन्दे की वसूलयाबी बैंक द्वारा ही मुम्किन है।

इसलिए आप हज़रात से अपील है कि अपने सद्क़ात व अतियात चेक/ड्राफ्ट और ऑन लाइन, नदवतुल उलमा के खातों में भेजें ऐसे नाज़ुक और मुश्किल हालात में नदवतुल उलमा के साथ आप का तआउन निहायत अहमियत रखता है, अल्लाह तआला हम सब की कोशिशों को कबूल फ़रमाये और उनको हमारे लिए ज़ख़ीर–ए–आख़िरत बनाये। आमीन

(मौलाना) मुहम्मद हमज़ा हसनी नदवी
नायब नाज़िम नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) तक़ीउद्दीन नदवी
मोतमद तालीम नदवतुल उलमा

(प्रोफेसर) अतहर हुसैन
मोतमद माल नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) सईदुर्रहमान आज़मी नदवी
मोहतमिम नदवतुल उलमा

नोटः चेक/ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें:
NADWATUL ULAMA
और इस पते पर भेजें:
NAZIM NADWATUL ULAMA
Nizamat Office, Nadwatul Ulama.
Tagore Marg, Lucknow-226007 (UP)

बरा–ए–करम अतियात भेजने के बाद रसीद हासिल करने के लिए नं0 **7275265518** पर इत्तिला ज़रूर करें।

नदवतुल उलमा
A/C No. 10863759711 (अतियात)
A/C No. 10863759766 (ज़कात)
A/C No. 10863759733 (तअ़मीर)
SBI MAIN BRANCH, LUCKNOW
(IFSC: SBIN0000125)

नोटः नदवतुल उलमा, लखनऊ को दिये गये चन्दे को **Section 80G income Tax act 1961**के तहत छूट प्राप्त होगी।
Online Donation Link: https://www.nadwa.in.donation/ Website: www.madwa.in, Email: nizamat@nadwa.in

उर्दू सीखये —इदारा

नीचे लिखी उर्दू के अशआर पढ़िये,
मुश्किल आने पर बाद में लिखे हिन्दी अशआर से मदद लीजिए

سال کے بارہ مہینے یہ ہیں۔جنوری،فروری، مارچ،اپریل،مئی، جون، جولائی، اگست،ستمبر،اکتوبر،نومبراوردسمبر۔ نومبر،دسمبر،جنوری اورفروری میں جاڑوں کا موسم رہتا ہے۔ دسمبراورجنوری میں جاڑا سخت ہوجاتا ہے، نومبراورفروری کا جاڑا گلابی جاڑا کہلاتا ہے، مارچ سے گرمی شروع ہوجاتی ہے،اپریل،مئی، جون میں سخت گرمی پڑتی ہے، جون کے آخرسے بارش شروع ہوجاتی ہے۔جولائی اوراگست میں اچھی بارش ہوتی ہے۔کبھی کبھی ستمبر میں بھی بارش رہتی ہے۔اکتوبر میں موسم معتدل ہوجاتا ہے۔مئی جون میں پکّے آم کھانے کو ملتے ہیں، چوسا آم جولائی میں بھی ملتا ہے۔

साल के बारह महीने ये हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर। नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में जाड़ों का मौसम रहता है। दिसम्बर और जनवरी में जाड़ा सख़्त हो जाता है, नवम्बर और फरवरी का जाड़ा गुलाबी जाड़ा कहलाता है। मार्च से गर्मी शुरु हो जाती है, अप्रैल, मई, जून में सख़्त गर्मी पड़ती है जून के आख़िर से बारिश शुरु हो जाती है, जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होती है, कभी कभी सितम्बर में भी बारिश रहती है, अक्तूबर में मौसम मोअ़तदिल हो जाता है, मई जून में पक्के आम खाने को मिलते हैं, चौसा आम जुलाई में भी मिलता है